

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28022020-216450 CG-DL-W-28022020-216450

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 07] नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2020, शनिवार / माघ 27—फाल्गुन 3,1941

No. 07] NEW DELHI, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2020, SATURDAY/MAGHA 27—PHALGUNA 3, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

xg e=ky;

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

ाक्ष्यक्रमा 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभगाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (कैमरामैन, ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक, किनष्ठ सहायक और स्टूडियो परिचर) मर्ती नियम, 1988 को जहाँ तक उनका संबंध किनष्ठ प्रयोगशाला सहायक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभगाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में किनष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. If \{ k \| r uke vkj ikj \| k.--
 - (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 2020 है।
 - (ii) ये, राजपत्र में उनकें प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

799 GI/2020 (177)

- 2. in ah i [;k] oxhaj k vkj oru eftVD i ei Lrj.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. ||krh| ah i)fr] vk;|& i hek] vg|rk,|] vkfn .— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. fujg|rk.—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पित या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. fˈkf-ky ajuran ˈkfDr .—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. ०, коनित इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम पद संख्या वर्गीकरण वेतन मेट्रिक्स जयम या भराम पद (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8		v u _l Liph							
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) किनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक कंप्रीय सेवा, समहर् म' अराजपत्रित, अननुसचिवीय जा सकता है। (5) (6) (7) किनिष्ठ (2020) कंप्रीय सेवा, समृह् म' अराजपत्रित, अननुसचिवीय जा सकता है। (5) (6) (7) किरीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुस्रार्ग या आदेशों के लिए अणु वालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। होता (केप्रीय सरकार) के अनुस्रार सरकारी सेवकां के लिए आयु वालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। होता विषयों में इंटरमीडिएट या 10+2 जतीर्थ को स्था जल्ददाख केन्द्र शासित प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुत, सिकिकम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहील और स्पीति जिले तथा वंबा जिले के पंगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समृह या लल्कद्वीप के अम्थियों के लिए विहित की गयी। हों।	पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स					
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) किनिष्ठ प्रयोगशाला (2020) केन्द्रीय सेवा, संमूह 'ग' अराजपत्रित, अनमुसचिवीय जा सकता है। (5) (6) (7) (8) केन्द्रीय प्रवास सेवा, संमूह 'ग' अराजपत्रित, अनमुसचिवीय जा सकता है। (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9				में स्तर	अचयन	आयु—सीमा			
किनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक * कार्यभार के क्रियं सेवा, समह 'ग' अराजपश्रित, अननुसिववीय जा सकता है। * कार्यभार के अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के अनुसरिवर्या अननुसिववीय जा सकता है। * कार्यभार के कार्यभार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के कार्यभार पर जारी अननुसाववीय अननुसाववीय के कार्यभार सरकारी सेवका के लिए आयु चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) * कार्यभार करने के लिए निर्णायक तारीख अन्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियात की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणायल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहील और स्विकम, लददाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहील और सीवि जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकाबर द्वीप समृह या लक्षद्वीप के अन्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) * कार्य-सरकार या कंद्रीय सरकार के बोर्ड या महाविद्यालय प्रप्तका है। * प्राप्त बोर्ड या महाविद्यालय प्रप्तका है। * कार्य वा कंद्रीय सरकार के बोर्ड या साच्या प्रप्ता का विषयों मे चंदरभीडिएट या 10+2 उत्तीर्ण और 2. किसी भी कंद्रीय या राज्य वर्ष का कार्य का अनुमव । * कार्य-सरकार वा कंद्रीय सरकार वे बोर्ड या महाविद्यालय प्रप्तका होरा समय—समय पर जारी कोर्ड या साविद्यालय प्रप्तका होरा सम्प्रमावता प्राप्त बोर्ड या महाविद्यालय प्रप्तकार वेद्रीय सरकार के बोर्ड या साविद्यालय प्रप्तकार वेद्र या संकार वेद्र या संकार के बोर्ड या नाविद्यालय प्रप्तकार वेद्र वेद्र विद्यालय प्रप्तकार वेद्र विद्र विज्ञान विद्रार मान्यता प्रप्त बार पर्प्य विद्राप करेग के लिए निकास के में इंटरमीडिएट या 10+2 उत्तीर्ण और 2. किसी भी कंद्रीय या राज्य वर्ष का कार्य का कार्य विद्राप संकार ये कंद्रीय सरकार वेद्र विद्र विद्र विद्राप संकार वेद्र विद्र वि									
प्रयोगशाला सहायक कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) *			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु चालीस करकता है। * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		01 *			लागू नहीं		vko';d&		
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अनुससिवियीय अनुससिवियीय अनुससिवियीय अनुससिवियीय अनुससिवियीय अनुससिवियाय संक्रिय सरकार के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। — आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्माय का गयी अंतिम तारीख होगी (नि क वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुर, सिकिकम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समृह या लक्षद्वीप के अनुसर्थियों के लिए विहित्त की गयी हैं।		(2020)		में स्तर — 3	होता				
अधार पर परिवर्तन किया जनमुसिविवीय जनमुसिवीय ज	सहायक			(ক.21700—					
के लिए आयु चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। त्रिपारका 1 — आयु सिमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंवा जिले के पांगी उपखंड, अस्पिति जिले तथा चंवा जिले के पांगी उपखंड, अस्पार्थ के लिए विहित की गयी है।							बोर्ड या महाविद्यालय		
जा सकता है। जा सकता है। वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) ंगित्रक्षत निष्ण की जा सकती है।) ंगित्रक्षत निष्ण ने जा विषयों में सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख को गयी अंतिम तारीख को जा असम, मेघालय, अरुणायल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्कम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहील और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अस्पार्थि के अन्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)		परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	69100 / -)					
सकती है।) (VI) 1.kn 1 — आयु सीमा अवधारित करने के लिए मिर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्कम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समृह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)						के लिए आयु चालीस			
हिंपा निषयों में इंटरमीडिएट या 10+2 उत्तीर्ण और अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निण्यक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी हैं।									
सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंवा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणिपुर, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्कम, लददाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।									
अभ्यर्थियां से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अन्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
प्रदेश, मिजोरम, कंप्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान । जिल्ला केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)							अनुभव ।		
मणिपुर, नागालेंड, ज्ञान । त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)							okilluh, —		
त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)							शारा		
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)									
लिए विहित की गयी है।)									
						fVI . kh 2 & रोजगार			

कार्यालय के माध्यम से
भर्ती की दशा में
आयुसीमा अवधारित
करने के लिए निर्णायक
तारीख वह अंतिम
तारीख होगी, जिस तक
रोजगार कार्यालय से
नाम भेजने के लिए कहा
गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की अवधि, यदि	सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति
विहित आयु और शैक्षिक	कोई हो	या प्रतिनियुक्ति या आमेलन	या आमेलन किया जाएगा
अर्हताए, प्रोन्नत व्यक्तियो		द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों	
की दशा में लागू होंगी		द्वारा भरी जाने वाली	
या नहीं		रिक्तियों की प्रतिशतता	
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	
			स्तर —1(रू. 18000—56900) में छह वर्ष नियमित
			सेवा की हो । FVI:.k&1 विभागीय प्रयोगशाला परिचर जिनकी
			वेतन मैट्रिक्स स्तर -1 (रू. 18000—56900) में छह
			वर्षीय नियमित सेवा है तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव है, उन पर भी बाहय अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति हेतु चयनित होता है तो इस पद को
			प्रोन्नित द्वारा भरा गया समझा जाएगा। fVli.k &2 केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य
			संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले
			दूसरे भूतपूर्व काडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि
			सहित प्रतिनियुक्ति अवधि साधारणतः रूप से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
			fVI:.k&3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु उच्चतम
			आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख
			तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान है तो उसकी	संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
		आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
leig&x giri folkkxh; ift"Vdj.k lfefr ¼ift"Vdj.k	ij fopkj	लागू नहीं होता
girldify, 1/2 ft leifu [ufyf[kr gkixi &		
1. उप निदेशक	– अध्यक्ष	
2. सहायक निदेशक(वैज्ञानिक सहायता)	– सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी—2 या श्रेणी 3	– सदस्य	

[फा. सं. 23011/23/2019-पीटी]

बी के सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th February, 2020

- G.S.R. 28 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Cameraman, Senior Laboratory Assistant, Junior Assistant and Studio Attendant) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Junior Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Laboratory Assistant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Junior Laboratory Assistant) Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Laboratory Assistant.	1* (2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years.	Essential:	Not applicable.	Two years
(Relaxable for Government servants	1. Intermediate or $10 + 2$ pass with		for direct
upto the age of forty years in	Science subjects from a State or		recruit.
accordance with the instructions or	Central Government Board or		
orders issued by the Central	College or State or Central		
Government from time to time).	Government recognised Board or		
Note 1: The crucial date for	College; and		
determining the age-limit shall be the	-		

closing dated for receipt of	2. One year working experience in	
application and not the closing date	· ·	
prescribed for those in Assam,	-	
*	Desirable:	
Mizoram. Manipur, Nagaland,		
Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti	working knowledge of computers.	
District and pangi Sub-Division of		
Chamba District of Himachal		
Pradesh, the Union territory of		
Ladakh, the Union territory of the		
Andaman and Nicobar Island and the		
Union territory of Lakshadweep.		
Note 2: In the case of recruitment		
made through the Employment		
Exchange, the crucial date for		
determining the age-limit shall be the		
last date upto which the Employment		
Exchange is asked to submit the		
names.		

Method of	In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances
recruitment, whether	promotion or deputation/	what is its composition	in which
by direct recruitment	absorption, grades from	•	Union Public
or by promotion or	which promotion or		Service
by deputation/	deputation/ absorption to		Commission is
absorption and	be made		to be consulted
percentage of the			in making
vacancies to be filled			recruitment
by various methods			
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation failing	Deputation:	Group 'C' Departmental Confirmation	Not
which by direct	Laboratory Attendant	Committee (for considering confirmation)	applicable.
recruitment.	with six years regular	consisting of :-	**
	service in level-1 (Rs.	(1) Deputy Director – Chairman;	
	18,000-56,900) of the	(2) Assistant Director (Scientific Aids) -Member;	
	pay matrix and	(3) Administrative Officer Grade–II	
	possessing the	or Grade – III – Member.	
	qualifications specified		
	in Column (7).		
	Note 1: Departmental		
	Laboratory Attendant		
	with six years of regular		
	service in level-1 in the		
	pay matrix (Rs. 18,000 –		
	56,900) and having the		
	educational qualification		
	and experience		
	prescribed for		
	considering appointment		
	on deputation basis shall		
	also be considered along		
	with the outsiders and in		
	case departmental		
	Laboratory Attendant		
	selected for		
	appointment, the post		
	shall be deemed to have		
	been filled by		
	promotion.		

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same some organisation shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The upper agelimit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.

[F. No. 23011/23/2019-PT] B. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

ा से बार नियान 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 1959 को जहां तक उनका संबंध कंपाउंडर के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ाः {k|r uke vkj ikj lk.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (फार्मासिस्ट) भर्ती नियम, 2020 है |
 - (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. in in[;k] oxidaj.k] oru elrVDi er Lrj.— पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. ||krh| ah i)fr] vk; | ihek vkj vg|rk; vkfn.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4.** fujg|rk,—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. fˈkf-ky aju ah ˈkfDr .—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. ००० १००० १००० १००० १००० विशेषात्र के स्वाप्त के

v u| Liph

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन या	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित
यद प्रा गाम	यप राज्या	पंगापर्रं	परांग मार्र्यस स्तर		वाले व्यक्तियों के	शैक्षिक और अन्य
				अचयन		
	()	()		पद	लिए आयु-सीमा	अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फार्मासिस्ट	01 *	साधारण	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के	kkf{k kd vgrk,&
	(2020)	केन्द्रीय सेवा,	स्तर — 5	होता।	मध्य	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड
	(2020)	समूह 'ग'	(29,200−92,300 ₹ <u>n.</u>)		(केन्द्र सरकार द्वारा	या विश्वविद्यालय
	4 (अराजपत्रित,			समय-समय पर	से 12वीं कक्षा
	*्कार्यभार	अननुसचिवीय			जारी अनुदेशों या	उत्तीर्ण ;
	के आधार	311311111			आदेशों के अनुसार	2. मान्यता प्राप्त
	पर				सरकारी सेवकों के	संस्थान से
	परिवर्तन				लिए 40 वर्ष की	फार्मसी में
	किया जा					
	सकता है।				आयु तक शिथिल	डिप्लोमा और
					की जा सकती है।)	किसी राज्य
					fVI i .kh&1 _ — आयु	फार्मसी काउसिल
					सीमा अवधारित करने	में फार्मासिस्ट के
					के लिए निर्णायक	रूप में रजिस्टर्ड ;
					तारीख अभ्यर्थियों से	3. किसी मान्यता
					आवेदन प्राप्त करने	प्राप्त अस्पताल
					के लिए नियत की	में फार्मस्टि्स के
					गयी अंतिम तारीख	रूप में 2 वर्ष का
					होगी (न कि वह	अनुभव।
					अंतिम तारीख जो	okNuh; &
					असम, मेघालय,	कम्पयूटर का प्रयोग
					अरुणांचल प्रदेश,	करने में सक्षमता—
					मिजोरम, मणिपुर,	ऑफिस अप्लीकेशन,
					नागालैंड, त्रिपुरा,	स्प्रेड शीट्स तथा
					सिक्किम, लद्दाख	प्रजेन्टेशन्स कार्य में
					केन्द्र शासित प्रदेश,	अनुभव होना ।
					हिमाचल प्रदेश के	
					लाहौल और स्पीति	
					जिले तथा चंबा जिले	
					के पांगी उपखंड,	
					अदमान और	
					निकोबार द्वीप समूह	
					या लक्षद्वीप के	
					अभ्यर्थियों के लिए	
					विहित की गयी है।)	
					fVI i .kh&2—	
					रोजगार कार्यालय के	
					माध्यम से की जाने	
					वाली भर्ती की दशा	
					में आयु सीमा	
					अवधारित करने के	
					लिए निर्णायक	
					तारीख वह अंतिम	
					तारीख होगी जिस	
					तक रोजगार	
					कार्यालय से नाम	
					भेजने के लिए कहा	
					मजन क ।लए कहा गया है	
					ાયા દ	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8) लागू नहीं होता	(9) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	(11)
			fVI _{i.kh} 2-प्रतिनियुक्ति द्रारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी र	पंरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक
		सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
leig&x folkkxh; iff"V lfefr ¼iff"V d₃ lici/k e	ı fopkj dju: dı	लागू नहीं होता।
fy,) ft leifuEufyf[kr gkix; &		
1. उप निदेशक	—अध्यक्ष	
2. सहायक निदेशक	–सदस्य	
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी / ज्येष्ट चिकित्सा		
अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी	–सदस्य	

[फा.सं. 23011/13/2017—पीटी] ब्रजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 18th February, 2020

- **G.S.R. 29.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Police Training College (Non-gazetted Staff) Recruitment Rules, 1959, in so far as they relate to the post of Compounder except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Pharmacist) Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

- 3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,-
 - (c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pharmacist.	01* (2020)	General Central	Level 5 in the pay matrix Rs.	
	*Subject to	Service: Group C,	29,200 –92,300.	Not applicable.
	variation	(Non-Ministerial)		
	dependent on	(Non-Gazetted)		
	workload			

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18-25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and the Union territory of Lakshadweep. Note 2: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Educational qualifications: (i) 12 th class pass from recognised Board or University; (ii) diploma in Pharmacy from a recognised Institution and registered as a Pharmacist with any State Pharmacy Council; (iii) two years' experience as Compounder or Pharmacist or dispensing in any recognised Hospital. Desirable: Ability to use computers - Hands on experience in office applications, spread sheets and presentations.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	By deputation failing	Deputation:	Group 'C' Department	Not applicable.
for direct	which by direct	(a) Officers from	Confirmation Committee (for	
recruitment.	recruitment.	among the	considering confirmation)	
		Central or State	consisting of the following:—	
		Government holding	(1). Deputy Director - Chairman(2). Assistant Director - Member	
		analogous post	(3). Chief Medical Officer/	
		on regular basis	Medical Officer - Member	
		in the parent	1/1001001 0111001 1/10111001	
		cadre or		
		department in		
		level 5 (Rs.		
		29,200 –		
		92,300) in the		
		pay matrix. (b) Possessing the		
		educational		
		qualifications		
		and experience		
		prescribed for		
		direct recruits		
		under column		
		(7).		
		Note 1: The period of		
		deputation including		
		period of deputation in another ex-cadre post		
		held immediately		
		preceding this		
		appointment in the same		
		or some other		
		organisation or		
		department of the Central		
		government shall		
		ordinarily not exceed five		
		years. Note 2: The maximum		
		age-limit for appointment		
		for deputation or		
		absorption shall not be		
		exceeding 56 years as on		
		the closing date of		
		receipt of applications.		

[F. No. 23011/13/2017-PT]

B. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

ार वास्ताय-30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (जिल्दसाज और परिचर) भर्ती नियम, 1981 और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पुस्तकालय परिचर) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पुस्तकालय परिचर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. Inf{k|r uke vkj inkj ||k .--
- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पुस्तकालय परिचर भर्ती नियम, 2020 है।
- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. in an in[;k] oxhlaj k] orru ekVD i er Lrj.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. ||krn| an i)fr] vk; & i hek vkj vg|rk, i vkfn.—भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. fujg|rk.—वह व्यक्ति —
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पित या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. f'kfky aju ah 'kfDr .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत. आदेश द्वारा शिथल कर सकेगी।
- 6. 0; kofRr.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

v ui Liph

	पद संख्या		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		-A-AA	+ P-0 A-A-
पद का	पद सख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन या	सीधी भर्ती के लिए	
नाम			में स्तर	अचयन पद	आयु—सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और
					·	अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय	02 *	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के	
परिचर	(2020)	सेवा, समूह 'ग'	में	होता	बीच।	1. किसी मान्यता
	* कार्यभार	अराजपत्रित,	स्तर— 1		(केन्द्रीय सरकार	प्राप्त बोर्ड से
	के आधार	अननुसचिवीय	(18000		द्वारा समय-समय	मैट्रिक्यूलेशन।
	पर परिवर्तन	J	_ 56900 रू.)		पर जारी अनुदेशों	2. सरकारी
	किया जा				या आदेशों के	संस्थान /
	सकता है				अनुसार सरकारी	सरकारी मान्यता
	राष्ट्रा। ६				सेवकों के लिए	प्राप्त संस्थान से
					चालीस वर्ष की आयु	पुस्तकालय
					तक शिथिल की जा	
					सकती है।)	पुस्तकालय
					rVI₁.k 1 — आयु	सूचना विज्ञान में
					सीमा अवधारित	प्रमाण पत्र।
					करने के लिए	okiNuh; —
					निर्णायक तारीख	1. पुस्तकालय में
					अभ्यर्थियों से आवेदन	एक वर्ष का

			प्राप्त करने के लिए	कार्यानुभव ।
			नियत की गयी	प्रापायुगप ।
			अतिम तारीख होगी	कार्यसाधक
			(न कि वह अंतिम	ज्ञान।
			तारीख जो असम,	
			मेघालय, अरूणाचल	
			प्रदेश, मिजोरम,	
			मणिपुर, नागालैंड,	
			त्रिपुरा, सिक्किम,	
			हिमाचल प्रदेश के	
			लाहौल और स्पीति	
			जिले तथा चम्बा	
			जिले का पांगी	
			उपखंड, केन्द्रशासित	
			निकोबार द्वीप समूह	
			या लक्षद्वीप ्या	
			लद्दाख केन्द्र	
			शासित प्रदेश के	
			अभ्यार्थियों के लिए	
			विहित की गयी है।)	
			fVIi.k 2 &	
			रोजगार कार्यालय के	
			माध्यम से की जाने	
			वाली भर्ती की दशा	
			में आयु सीमा	
			अवधारित करने के	
			लिए निर्णायक	
			तारीख वह अंतिम	
			तारीख होगी जिस	
			तक रोजगार	
			कार्यालय से नाम	
			भेजने के लिए कहा	
			गया है।	
•	•			

सीधी भर्ती किए व्यक्तियों के लि आयु और शैक्षिक प्रोन्नत व्यक्तियों व लागू होंगी या नहीं	ए विहित अवधि, अर्हताएं , हो ती दशा में		होगी या प्रोन्नति द्वारा या	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(0)		(0)	()	(44)
(8) लागू नहीं ह	ोता ।	(9) दो वर्ष	(10) सीधी भर्ती द्वारा	(11) लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसव		र्गि करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक वा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
leig ⁶ x ⁹ folkkxh, inklufr lfefr ¼in Vajk ij fopkj dify,½		लागू नहीं होता।
ftle:fuEufyf[kr gkix;•		
1. उप निदेशक	–अध्यक्ष	
2. सहायक निदेशक	–सदस्य	
3. पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी	–सदस्य	

[फा. सं. 23011/36/2017—पीटी] बी. के. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 19th February, 2020

- G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Book Binder-cum-Attendant) Recruitment Rules, 1981 and Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Library Attendant) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely:—
- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Library Attendant Recruitment Rules, 2020.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward class and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

	SCHEDULE		
Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether
			selection post or
			non-selection
			post
(2)	(3)	(4)	(5)
02* (2020)	General Central Service,	Level-1 in the pay matrix	Not applicable
*Subject to	Group-'C',Non-Gazetted,	(Rs. 18,000 – 56,900/-)	
variation	Non-Ministerial		
dependent on			
workload			
	(2) 02* (2020) *Subject to variation dependent on	Number of post Classification (2) (3) 02* (2020) *Subject to variation dependent on Classification General Central Service, Group-'C',Non-Gazetted, Non-Ministerial	(2) (3) (4) 02* (2020) General Central Service, Evel-1 in the pay matrix *Subject to Group-'C',Non-Gazetted, variation dependent on Non-Ministerial

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for	Whether age and
	direct recruits	educational qualifications
		prescribed for direct
		recruits will apply in
		the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years	Essential:	Not applicable.
(Relaxable for Government servants upto	1. Matriculation from any Government	
the age of forty years in accordance with	recognised Board.	
the instructions or orders issued by the	2. Certificate in Library Science or Library	

Central Government from time to time).

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep and the Union territory of Ladakh.

Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Information Science from Government Institution or Government recognised Institution.

<u>Desirable</u>:

- 1. One year experience of working in a Library;
- 2. Working knowledge of Computers.

Period of	Method of	In case of	If a Departmental Promotion Committee	Circumstances in
probation, if	recruitment	recruitment by	exists, what is its composition	which Union
any	Whether by direct	deputation /		Public Service
	recruitment or by	absorption,		Commission is to
	promotion or by	grades from		be consulted in
	deputation /	which promotion		making
	absorption and	or deputation /		recruitment
	percentage of	absorption to be		
	vacancies to be	made		
	filled by various			
	methods			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	By direct	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
·	recruitment	**	Committee (for considering	**
			confirmation) consisting of :	
			(1) Deputy Director – Chairman	
			(2) Assistant Director -Member;	
			(3) Library and Information Officer –	
			Member.	

[F.No. 23011/36/2017-PT] B. K. SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

सा.का.िन. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीरम विज्ञान विभाग, कोलकाता (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता, ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .— भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता .—वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर सीधे भर्ती किए पद का नाम चयन पद अथवा जाने वाले व्यक्तियों अचयन पद के लिए आयु सीमा (2)(3) (4)(5) (1) (6)वेतन मैटिक्स में स्तर-5 लागू नहीं होता ज्येष्ठ साधारण केन्द्रीय अचयन 08* प्रयोगशाला (29200-92300 रुपए) सेवा, समूह 'ग' (2020)तकनीशियन अराजपत्रित, *कार्यभार के आधार पर अननुसचिवीय परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागु नहीं होता

	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां
प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	-
(10)	(11)
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3(21700-69100 रुपये) में विभाग में प्रयोगशाला
	तकनीशीयन के रुप में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक
या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा
हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह
तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से, इसमें से जो
भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,
जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।
टिप्पणी 2: प्रोन्नित की पात्रता की सूची संबंधित श्रेणी या पद में
अधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्हता सेवा को पूरा करने की तारीख़ के
संदर्भ में तैयार की जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ
		लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
		जाएगा ।
(12)		(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमे		लागू नहीं होता
निम्नलिखित होंगे -		
1. अपर सिरोलोजिस्ट या ज्येष्ठतम सहायक सिरोलोजिस्ट,		
सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता	- अध्यक्ष	
2. सहायक सिरोलोजिस्ट, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता	- सदस्य	
3. लेखा अधिकारी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता	- सदस्य	
4. कोलकाता स्थित अन्य केन्द्र सरकार के कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकार्र	ो - सदस्य	

[सं. ए.12018/09/2014-एम एच-II]

जी. के. पिल्लई. अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th February, 2020

- **G.S.R. 31.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Serologist Department, Kolkata (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973, in so far as they relates to the post of Senior Laboratory Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Laboratory Technician in Ministry of Health and Family Welfare, Institute of Serology, Kolkata, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Institute of Serology, Kolkata, Senior Laboratory Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification, level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person. shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of	Number of post	Classification	Level in pay	Whether selection	Age- limit for direct
post			matrix	post or non-	recruits
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior	8 * (2020)	General Central	Level - 5 in the	Non-selection	Not applicable
Laboratory	*subject to	Service, Group 'C,'	pay matrix (Rs.		
Technician.	variation	Non-Gazetted,	29200- 92300)		
	depending on	Non-Ministerial.			
	workload.				

other qualifications		Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 percent by promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Laboratory Technician of the Department with ten years regular service in the level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100). Note 1: Where Junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher	Group 'C' Departmental Promotion Committee: (for considering promotion): (consisting of): (1) Additional or Senior most Assistant Serologist, Institute of Serology, Kolkata - Chairman. (2) Assistant Serologist,, Institute of Serology Kolkata - Member. (3) Accounts Officer, Institute of Serology, Kolkata - Member. (4) One Gazetted Officer from other Central Government Office in Kolkata - Member.	Not applicable.

grade along with their juniors
who have already completed
such qualifying or eligibility
service.

Note 2: The eligibility list for
promotion shall be prepared with
reference to the date of
completion by the officers of the
prescribed qualifying service in
the respective grade or post.

[No. A.12018/09/2014-MH-II] G.K. PILLAI, Under Secy.

(सीजीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 32 .—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'ख' राजपित्रत पद भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** .— वह व्यक्ति -
- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
- (ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत. आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में सयम-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

		٠, ١	पूर्या				
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	मैट्रिक्स	में	चयन पद अथवा	सीधी भती हेतु आयु-
			स्तर			गैर-चयन पद	सीमा
1	2	3		4		5	6
प्रशासनिक	25* (2020)	साधारण केंद्रीय	वेतन	मैट्रिक्स	में	चयन पद	लागू नहीं होता
अधिकारी	अहमदाबाद – 1	सेवा, समूह 'ख',	स्तर-8	(रु. 4760	00-		
	इलाहाबाद – 1	अराजपत्रित,	15110	00)			
	वेंगलुरू – 1	सचिवीय					
	चेन्नई – 1						
	दिल्ली - 12						
	हैदराबाद – 2						
	जयपुर – 1						
	कानपुर – 1						
	कोलकाता – 1						
	लखनऊ – 1						
	मुंबई – 1						
	नागपुर – 1						
	पुणे – 1						
	* कार्यभार के आधार पर						
	परिवर्तन किया जा सकता है।						

सीधी भर्ती हेतु	क्या सीधी भर्ती के	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति, क्या	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाने
अपेक्षित	लिए निर्धारित आयु	अवधि, यदि कोई	भर्ती सीधी भर्ती द्वारा	वाली भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे
शैक्षणिक एवं	तथा शैक्षणिक	हो	अथवा प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
अन्य अर्हताएं	अर्हताएं प्रोन्नत		अथवा प्रतिनियुक्ति/	, i
	कर्मचारियों के		आमेलन द्वारा की जानी	
	मामलों में भी लागू		है और विभिन्न पद्धतियों	
	होगी		द्वारा भरी जाने वाले	
			रिक्तियों की प्रतिशतता	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न	प्रोन्नति
			हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	ऐसे कार्यालय अधीक्षक जो ग्रेड में छ: वर्ष की
			द्वारा	नियमित सेवा की हो जिसने वेतन मेट्रिक्स
				में स्तर -6 (रु.35400-112400) में विभाग
				द्वारा यथा विहित 2 से 4 सप्ताह का
				सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो ।
				प्रतिनियुक्ति:-
				केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य
				क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकरी –
				(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित
				आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं,
				अथवा
				(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में स्तर-7
				(रु.449000-142400)या सदृश में नियमित
				आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में दो

वर्ष की सेवा की है; और
ख. जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता
और अनुभव है :-
(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से
डिग्री ।
(ख) सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र
के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी
निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापना में दो वर्ष
का अनुभव।
टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध
में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा
पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार
किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया
जाएगा बशर्ते कि उनके पास कनिष्ठ
व्यक्तियों से कम अथवा दो वर्ष से कम अर्हक
या पात्रता सेवा, इनमें से जो भी कम हो, न
हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों
सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले
ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में
प्रोन्नति की अपनी परिवीक्षा अवधि
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत
केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
धारिता किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन
वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56
वर्ष से अधिक नहीं होगी।
पोषक प्रवर्ग श्रेणी के ऐसे विभागीय
अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए
जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार,
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति में होंगे:-		प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद को भरते
(1) निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	- अध्यक्ष	समय आयोग से परामर्श आवश्यक है।
(2) निदेशक (प्रशासन और सतर्कता)	- सदस्य	
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय		
(3) उप सचिव/अवर सचिव (प्रशासन)	- सदस्य	
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना		

[सं. ए-12018/06/2018-सीजीएचएस-I] मनोज कुमार वर्मा, अवर सचिव

(CGHS DIVISION)

New Delhi, the 13th February, 2020

- G.S.R. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme (Administrative Officer) Group 'B' Gazetted post Recruitment Rules, 2002, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Administrative Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation (Administrative Officer) Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. .—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

		SCHE	CLL		
Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay	Whether selection	Age limit for
			matrix	post or non-	direct recruits
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative	25* (2020)	General Central	Level 8 in the	Selection Post	Not applicable
Officer	Ahmedabad - 1	Service, Group 'B',	pay matrix		
	Allahabad - 1	Gazetted,	(Rs.47600-		
	Bangaluru - 1	Ministerial	151100)		
	Chennai - 1				
	Delhi - 12				
	Hyderabad – 2				
	Jaipur - 1				
	Kanpur - 1				
	Kolkata - 1				
	Lucknow - 1				
	Mumbai - 1				
	Nagpur - 1				
	Pune - 1				
	*Subject to				
	variation dependent				
	on workload.				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation	Promotion: Office Superintendant in Level- 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay matrix with six years regular service in the grade and have successfully completed 2 to 4 weeks training as prescribed by the department. Deputation: Officers under the Central Government/State Government or Union Territories — A. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and B. possessing the following Educational Qualification and Experience: (i) Degree of a recognised University or Institute. (ii) Two years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government Office or Public Sector Undertakings or autonomous body or statutory body. Note:- Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post has immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its compositi	on	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making
		recruitment
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee consisting of:-		Consultation of the
(1) Director, Central Government Health Scheme	- Chairman	Commission is necessary
(2) Director (Administration and Vigilance)		while filling up the post on
Directorate General of Health Services	- Member	deputation basis.
(3) Deputy Secretary/Under Secretary (Administration)		
Central Government Health Scheme	- Member	

[No.A-12018/06/2018-CGHS-I]

MANOJ KUMAR VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सा.का.िन. 33.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व विलिंग्डन अस्पताल तथा निर्मिंग होम (समूह 'IV') भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध दर्जी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डाॅ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल एवं निर्मिंग होम, नई दिल्ली में दर्जी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली दर्जी, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता. वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

				সন্	सूचा	
पद का	पद की	वर्गीकरण	वेतन	चयन या	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले
नाम	संख्या		मैट्रिक्स	अचयन	व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
			में स्तर	पद		शैक्षिक और अन्य अर्हताऍ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दर्जी	2*	साधारण केंद्रीय	वेतन	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच।	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक
	(2020)	सेवा, समूह 'ग'	मैट्रिक्स	होता	(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए	या समकक्ष अर्हता; और
	*कार्यभार	अराजपत्रित,	में		गए अनुदेशों या आदेशों के	(ख) केंद्रीय या राज्य सरकार से
	के आधार	, अननुसचिवीय	स्तर 1		अनुसार सरकारी कर्मचारियों की	मान्यता प्राप्त औद्योगिक
	पर	31113(111414	(18000-		दशा में आयु पाँच वर्ष तक	प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
	परिवर्तन		56900		शिथिल की जा सकती है।)	, , ,
	किया जा		रुपये)		टिप्पण1:- आयु-सीमा अवधारित	से कर्तन और सीवन का प्रमाण-
	सकता है।				करने के लिए निर्णायक तारीख	पत्र या समतुल्य।
					भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	टिप्पण-1 अर्हताएं अन्यथा
					प्राप्त करने के लिए नियत की	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
					गई अंतिम तारीख होगी न कि	सक्षम प्राधिकारी के
					वह अंतिम तारीख जो असम,	विवेकानुसार, उन कारणों के
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	शिथिल की जा सकती हैं।
					त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र	टिप्पण-2 अनुभव संबंधी
					लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-	अर्हताएं अनुसूचित जातियों या
					कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के	अनुसूचित जनजातियों के
					लाहोल और स्पीति जिले तथा	अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम
					लाहाल आर स्पात जिल तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,	
					·	प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन
					अंदमान और निकोबार द्वीप या	कारणों के लिए जो लेखबद्ध
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	किए जाएं, तब शिथिल की जा
					विहित की गई है।	सकती हैं, जब चयन के किसी
					टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के	प्रक्रम पर कर्मचारी चयन
					अभ्यर्थियों के मामले में आयु-	आयोग या सक्षम प्राधिकारी की
					सीमा अवधारित करने के लिए	यह राय है कि उनके लिए
					निर्णायक तारीख वह अंतिम	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
					तारीख होगी जिस तारीख तक	लिए अपेक्षित अनुभव रखने
					रोजगार कार्यालय से नाम भेजने	वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों
					के लिए कहा गया है।	के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
						की सम्भावना नहीं है।
						, ,

सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या
व्यक्तियों के लिए विहित आयु	। यदि कोई हो	होगी या प्रोन्नति या	आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे
और शैक्षिक अर्हताऍ प्रोन्नत			श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या
व्यक्तियों की दशा में लागू		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा	प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया
होंगी या नहीं		भरी जाने वाली रिक्तियों	जाएगा
		की प्रतिशतता	
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:		लागू नहीं होता।
1. चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	-अध्यक्ष	
2. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	-सदस्य	
3. उप निदेशक, प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	-सदस्य	

[सं. ए. 11018/48/2019-एम.एच. **-**II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 14th February, 2020

- G.S.R.33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the erstwhile Willingdon Hospital and Nursing Home (Class IV) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Tailor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tailor in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and Nursing Home, New Delhi, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Tailor (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classifications, level in the pay matrix.—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **3.** Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post
				or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tailor	2* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (18000- 56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct
	recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years.	(i) Matriculation or its equivalent qualification from a
(Relaxable for Government servants upto five years in	recognised Board
accordance with the instructions or orders issued by the	And
Central Government)	(ii) Certificate of cutting and tailoring from ITI
Note 1: The crucial date for determining the age-limit	recognised from Central or State government institution or
shall be the closing date for receipt of applications from	equivalent.
candidates and not the closing date prescribed for those in	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the
Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	competent authority for the reasons to be recorded in
Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of	writing in case of candidates otherwise well qualified.
Ladakh Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul	Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable
and Spiti District and Pangi Sub -division of Chamba	at the discretion of the Staff Selection Commission or
District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar	Competent Authority for the reasons to be recorded in
Islands and Lakshdweep.	writing in the case of candidates belonging to the
Note 2: The crucial date for determining the age-limit in	Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage
the case of candidates from employment exchange shall be	of selection the Staff Selection Commission or Competent
the last date up to which the employment exchange is	Authority is of the opinion that sufficient number of
asked to submit the names.	candidates belonging to these communities possessing the
	requisite experience are not likely to be available to fill up
	the vacancies reserved for them.

Whether age and educational	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct
qualifications prescribed for direct		recruitment or by promotion or by deputation
recruits will apply in the case of		or absorption and percentage of the vacancies
promotees		to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Circumstances in which
promotion or deputation	composition	Union Public Services
or absorption grade from		Commission is to be
which promotion or		consulted in making
deputation or absorption		recruitment
to be made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering	Not applicable.
	confirmation) consisting of :-	
	(1) Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia	
	Hospital, New Delhi - Chairman;	
	(2) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar	
	Lohia Hospital, New Delhi - Member;	
	(3) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar	
	Lohia Hospital, New Delhi - Member;	

[No. A. 11018/48/2019-MH-II] G. P. SAMANTA, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 34 .—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, समूह "क" और समूह "ख" राजपित्रत तथा अराजपित्रत पदों के भर्ती नियम,1995 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक निदेशक (भाषा) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें

अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर भर्ती पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली, समूह "क" भर्ती नियम 2020 है I
- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे I
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है I
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है,; या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा I
 - परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के किए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी I
- 5. शिथिल करने की शक्ति .— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहीं वह उसके किए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है I

पदों की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर सीधे भर्ती किए पद का नाम चयन पद है या जाने वाले व्यक्तियों अचयन पद के लिए आय्-सीमा (1)(2) (3)(4) (5) (6) साधारण केंद्रीय सहायक निदेशक वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 चयन पद लागू नहीं 36* (2020) सेवा, समूह 'क' (भाषा) * कार्यभार के (56100-177500 रु.) आधार पर परिवर्तन राजपत्रित. किया जा सकता है अननुसचिवीय

वाले व्यक्तियों के लिए			भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	67 प्रतिशत प्रोन्नति से, ऐसा न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति से; और33 प्रतिशत अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति से I

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
् दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे	· ·	परिस्थितियों में संघ
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		लोक सेवा आयोग से
·		परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
66 प्रतिशत प्रोन्नति सहायक अनुसंधान	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग
अधिकारी के ग्रेड से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	से परामर्श अनिवार्य I
स्तर-7, रु.44900-142400/- में नियमित	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष	
आधार पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा	2. संयुक्त सचिव (भाषाएँ), मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
पूरी कर ली हो तथा जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का	(उच्चतर शिक्षा विभाग) - सदस्य	
अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो	3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय - सदस्य	
33- प्रतिशत प्रोन्नति मूल्यांकक के ग्रेड से	समूह "क" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर	
जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7, रु.44900-	विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	
142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के	1 संयुक्त सचिव (भाषाएँ), मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बाद 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा	(उच्चतर शिक्षा विभाग) - अध्यक्ष	
जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित दो से	2. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय - सदस्य	
चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर	3. प्रधान संपादक (हिंदी), केंद्रीय हिंदी निदेशालय - सदस्य	
लिया हो ।		
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध		
में, जिन्हीने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी		
कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा		
रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में		
भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब		
कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता		
सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे		
से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी		
कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे		
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक		
या पात्रता की सेवा पहले ही पूरी कर ली है,		
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी		
परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर		
ली हो।		
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :		
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ		
राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या		
विश्विद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान		
संस्थानों के अधिकारी जो;		
(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित		
आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; अथवा		
(ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के बाद		
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-9 रु. 53100-		
्र 167800/- अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8		

- रु. 47600-151100/- या समतुल्य में 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेते हैं; अथवा (iii) संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 रु.44900-142400/- या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेते हैं; तथा
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव हैं:

आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय या समतुल्य से हिंदी अथवा संस्कृत में मास्टर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी साहित्य सहित भाषाविज्ञान में मास्टर डिग्री (ii) डिग्री स्तर पर अध्ययन के एक विषय के रूप में अंग्रेजी

(iii) डिग्री या डिप्लोमा कक्षाओं का अध्यापन या शब्दावली कार्य का अथवा पुस्तकों में तकनीकी लेख लिखने का या अनुवाद का या दोनों का 3 वर्ष का अनुभव I

वांछनीय: (i) सरकारी संस्थान से हिंदी के प्रयोग को शामिल करते हुए कोश कार्य का अनुभव (ii) कक्षा 10 या किसी अन्य उच्च स्तर पर हिंदी से भिन्न एक भारतीय भाषा का अध्ययन तथा अंग्रेजी से भिन्न एक विदेशी भाषा का अध्ययन ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्निति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे I उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे I

टिप्पण 2: केंद्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

[मि.सं.12-1/2016-कें.हिं.नि. (प्रशा.)] सुमन दीक्षित, उप-सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 6th February, 2020

- G.S.R.34.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology, Group (A) and Group (B) Gazetted and Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the post of the Assistant Director (Language), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Language) in Central Hindi Directorate, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Central Hindi Directorate, New Delhi, Group 'A' Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit and qualification etc.** The method of recruitment to the said post, age-limit, educational qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person;
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Service personnel and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in the regard.

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay	Whether	Age-limit for
			matrix	selection post or	direct recruits
				non selection	
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant	36 (2020)	General Central	Level-10 in the	Selection	Not applicable
Director	*Subject to	Service, Non	pay matrix		
(Language)	variation	Ministerial, Group	Rs.56100-		
	dependent on	A Gazetted	177500		
	workload				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

term contract.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(10)

67 per cent. by promotion failing which by deputation including short term contract and 33 per cent. by deputation including short

(11)

Promotion: $66\frac{1}{2}$ per cent. by promotion from the grade of Assistant Research Officer in level 7 of the pay matrix Rs.44900-142400/- with three years service rendered after appointment thereto on regular basis and have completed two to four weeks mandatory training prescribed by the competent authority.

 $33\frac{1}{2}$ per cent. by promotion from the grade of Evaluator in level 7 of the pay matrix Rs.44900-142400/-with three years service rendered after appointment thereto on regular basis.and have completed two to four weeks mandatory training prescribed by the competent authority.

Note: : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract) : Officers under the Central or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or Universities or recognised research institution, —

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or
- (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 9 of the pay matrix Rs.53100-167800 or in level 8 of the pay matrix Rs. 47600-151100 or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-7 of the pay matrix Rs. 44900-142400 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential: (i) Masters degree in Hindi or Sanskrit from a recognised University or equivalent or Masters degree in Linguistics with Hindi Literature as one of the subject in degree level;

- (ii) English as one of the subject of study at degree level;
- (iii) with three years' experience of teaching degree or diploma classes or terminological work on writing technical articles of books or translation or both.

Desirable: (i) Experience of lexicographical work involving use of Hindi from a Government organisation;

(ii) studied one Indian Language other than Hindi and one foreign language other than English in 10th standard or any higher level.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its co	omposition	Circumstances	in which	Union	Public
		Service Comm	ission to be	consulte	d
(12)			13		
1. Group 'A ' Departmental Promotion Committee (for c	onsidering	Consultation v	with Union	Public	Service
promotion) consisting of :-	_	Commissionis	necessary.		
(1) Chairman/member, Union Public Service Commission	-Chairman;				
(2) Joint secretary (Languages) Ministry of Human Resource	Development				
(Department of Higher Education)	-Member;				
(3)Director, Central Hindi Directorate	-Member.				
2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee(for	considering				
Confirmation) consisting of :-					
(1) Joint secretary (Languages) Ministry of Human Resource	Development				
(Department of Higher Education)	– Chairman;				
(2) Director, Central Hindi Directorate	– Member;				
(3) General Editor (Hindi), Central Hindi Directorate	Member.				

[F.No.12-1/2016-CHD (Admn.)] SUMAN DIXIT, Dy. Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (वैज्ञानिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में वैज्ञानिक समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (वैज्ञानिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ .—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
 - (ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय , जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग अभिप्रेत है :
 - (ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से किसी भी श्रेणी में प्रोन्नति / पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
 - (घ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है।
 - (ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
 - (च) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से इन नियमों के अधीन चयन और नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियाँ अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसी अवधि या अवधियाँ भी है:
 - (i) जिनकी गणना सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए की गई है;

- (ii) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में पद धारण करता किन्तु छुट्टी पर होने के कारण या ऐसा पद धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होने के कारण उसने पद धारण नहीं किया;
- (छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो उनको संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और (25) में है;
- 3. लागू होना.—ये नियम अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- **4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, नियम 8 में जैसा उपबंधित है वही होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **5. भर्ती की विधि, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 6. सुनम्य कोटिपूरक योजना (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया -
- (i) वैज्ञानिक 'ख' से वैज्ञानिक 'ग' और वैज्ञानिक 'ग' से वैज्ञानिक 'घ' के पद पर स्वस्थाने प्रोन्नति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-14-17 / 37/2008-स्थापना (आरआर) दिनांक 10.09.2010, यथा संशोधित द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाएगी। सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति केवल समूह 'क' वैज्ञानिक पदों पर ही लागू होता है। विभागों या मंत्रालयों में प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों पर सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें केवल आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना (एमएसीपी) के अधीन उन्नयन का लाभ दिया जाना चाहिए।
- (ii) सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन सम्मिलित सभी पदों के वेतन मैट्रिक्स, पदनाम और पालन से जुड़ी न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि समान स्तर पर निम्नलिखित होंगी।

पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पालन से जुड़ी न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि
वैज्ञानिक 'घ'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (रु. 78800)	-
वैज्ञानिक 'ग'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (रु.67700)	चार वर्ष ।
वैज्ञानिक 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (रु.56100)	तीन वर्ष ।

- (iii) मूल्यांकन के दो स्तर होंगे, पहला स्तर स्क्रीनिंग उद्देश्यों के लिए आंतरिक स्तर पर होगा और अगला स्तर चयन के लिए बाह्य मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए होगा। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:
 - (क) (i) सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्क्रीनिंग समिति द्वारा वर्ष में दो बार 1 जनवरी से पहले और 1 जुलाई से पहले प्रोन्नति की पुनर्विलोकन की जाएगी ।
 - (ii) मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वर्ष में दो बार अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई से पहले ऐसे सभी उम्मीदवारों की प्रोन्नति की पुनर्विलोकन की जाएगी जिन्होंने रेज़िडेन्सी की विहित अवधि पूरी कर ली है।
 - (iii) सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन जनवरी से जून के दौरान परिपक्व होने वाले प्रोन्नति के मामलों की पुनर्विलोकन उसी वर्ष जुलाई के माह में की जाएगी तथा जुलाई से दिसंबर के दौरान परिपक्व होने वाले प्रोन्नति के मामलों का पुनर्विलोकन अगले वर्ष जनवरी माह में की जाएगी।
 - (ख) यदि कोई पात्र अधिकारी की भारत या विदेश में विदेश सेवा या अध्ययन अवकाश पर है, उसके मामले पर विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्ति को सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी के लिए स्वस्थाने प्रोन्नति का अनुमोदन दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रोन्नति की तारीख केंद्रीय भूजल बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी और वित्तीय लाभ भी उसी तारीख से प्राप्त होगा तथा साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा;

- (ग) उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त करने वाले असाधारण मेधावी उम्मीदवारों को रेज़िडेन्सी की अविध में छूट दी जाएगी, यह छूट एक अवसर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा पूरे कैरियर के दौरान यह छूट दो अवसर तक ही सीमित होगी। सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन अगली श्रेणी के लिए मूल्यांकन केवल तीन वार किया जाएगा और तत्पश्चात वैज्ञानिक को संशोधित आश्वस्त कैरियर उन्नयन योजना (एमएसीपी) के प्रावधानों के अनुसार इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। यदि किसी वैज्ञानिक को एमएसीपी योजना के अधीन कोई श्रेणी में स्वीकृत किया गया है तो सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन अगली श्रेणी के लिए उन पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन वैज्ञानिकों के उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अनुसंधान और विकास में क्षेत्र अनुभव और / या ऐसी वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव अनिवार्य है।
- (iv) आंतरिक स्क्रीनिंग का पहला चरण अनुसूची के स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाएगा, जो सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन उन्नयन के लिए मापदंड के अनुसार वार्षिक कार्य रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी। संशोधित सुनम्य कोटिपूरक योजना के प्रावधान के अनुसार सभी पात्र वैज्ञानिक और जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार बेंचमार्क को पूरा करते हैं, को आईएससी में सम्मिलित किया जाएगा, जो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक सामग्री पर रिपोर्ट करेंगे। आंतरिक स्क्रीनिंग समिति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक सामग्री की निम्नलिखित रिपोर्टिंग प्रारूप में रिपोर्ट करेगी और इसे बाह्य मूल्यांकन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।

आंतरिक स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट:

- 1. रिपोर्ट की गई वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का श्रेणीकरण:
- 2. अभिज्ञात विशिष्ट नवाचार तत्व:
 - (क)
 - (ख)
 - (ग)
- 3. रिपोर्ट किए गए कार्य की तुलना में इस क्षेत्र में सहकर्मियों से सापेक्ष मूल्यांकन [शीर्ष 10 प्रतिशत 10-33 प्रतिशत 33-50 प्रतिशत 50-75 प्रतिशत निचला 25 प्रतिशत]
- 4. रेज़िडेन्सी अवधि के दौरान किए गए कार्यों का आकलन
- 5. किए गए कार्य की वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री की विशिष्टता
- 6. रेजिडेंसी के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य रिपोर्ट का समग्र श्रेणीकरण अवधि [शीर्ष 10 प्रतिशत 10-33 प्रतिशत 33-50 प्रतिशत 50-75 प्रतिशत निचला 25 प्रतिशत]

आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

- (v) अनुसूची के स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकारी (स्क्रीनिंग), आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित सभी मामलों पर विचार कर इसको अनुमोदित करेगा और यदि यह निर्णय लिया जाता है कि कोई अधिकारी आकलन बोर्ड द्वारा प्रोन्नति हेतु विचार के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है तो बोर्ड द्वारा उसके मामले को आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के विचार के लिए एक वर्ष के पश्चात आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाएगा और स्क्रीनिंग के लिए उप नियम (iv) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पुनः पालन किया जाएगा।
- (vi) बाह्य मूल्यांकन के दूसरे चरण के उद्देश्य के लिए (बाह्य):
 - (क) स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिकों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए; सभी वैज्ञानिक जिनकी आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुशंसित किया गया है [और अनुमोदन प्राधिकरण (स्क्रीनिंग) द्वारा अनुमोदित किया गया है] का अनुसूची के स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन वोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा;
 - (ख) मूल्यांकन बोर्ड प्रत्येक वैज्ञानिक की उपलब्धियों का उनके कार्य के संदर्भ में मूल्यांकन करेगा और उच्चतर श्रेणी पर उनकी प्रोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता की सिफारिश करेगा । इसके अतिरिक्त बोर्ड विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी की

उपलब्धियों के साथ –साथ अपने संव्ययसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिकारी की निष्ठा और उत्सुकता तथा वैज्ञानिक गतिविधियों और सेवाओं तथा विकासात्मक क्षमताओं, प्रबंधन और नेतृत्व गुणों सहित उच्चतर उत्तरदायित्व लेने की क्षमता पर भी विचार करेगा।

- (ग) प्रत्येक वैज्ञानिक के पालन और योग्यता पर विचार करने के पश्चात मूल्यांकन बोर्ड सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन वैज्ञानिक पर विचार करने की योग्यता के औचित्य में विनिर्दिष्टत: एक पृष्ठ के सार के माध्यम से वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों की विशिष्ट सामग्री का उल्लेख करेगा। मूल्यांकन बोर्ड विशेष रूप से यह प्रमाणित करेगा कि सिफ़ारिश किए गए उक्त वैज्ञानिक द्वारा सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने उन्नयन संबंधी समस्त मापदंड पूरे कर लिए गए हैं।
- (घ) इस मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकन बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक की सिफारिश कर सकता है: -
 - (i) अधिकारी की अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति या;
 - (ii) यथास्थिति अर्थात श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं;
- (ङ) ऐसे अधिकारी, जिन्हें मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यथास्थिति की सिफारिश की गई है, एक वर्ष की अवधि के पश्चात उनके संतोषजनक प्रदर्शन पर आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा पुनः उनके मामले में विचार किया जाएगा।
- (च) ऐसे वैज्ञानिक जो छुट्टी या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवाओं के कारणों से मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहते हैं, वे स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (vii) मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर अनुसूची के स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकरण (मूल्यांकन) द्वारा विचार किया जाएगा और प्रत्येक मामले पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

7. प्रत्येक शाखा में पदों की संख्या निम्नानुसार होगी:

जलभू विज्ञान शाखा:

(क) जलभू विज्ञान शाखा में पदों की कुल संख्या 290 होगी, जिसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ख' या वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। जलभू विज्ञान शाखा में 290 अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में एक वर्ष में होने वाली रिक्ति वैज्ञानिक 'ख' (जलभू विज्ञान शाखा) के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होंगी जो 174 से अधिक नहीं हो सकती।

भू-भौतिकी शाखा

(ख) भू-भौतिकी शाखा में पदों की संख्या 31 होंगी। इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ख' या वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। भू-भौतिकी शाखा में 31 अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में एक वर्ष में होने वाली रिक्ति वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होगी, परंतु यह कि कुल वैज्ञानिक 'ख' (भू-भौतिकी) के श्रेणी में पदों की संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती।

रासायनिक शाखा

(ग) रासायनिक शाखा में पदों की कुल संख्या 32 होंगी। इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ख' या वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। रासायनिक शाखा में 32 अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में एक वर्ष में होने वाली रिक्ति वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होगी, परंतु यह कि वैज्ञानिक 'ख' (रसायन) की श्रेणी में पदों की संख्या 23 से अधिक नहीं हो सकती।

जल विज्ञान शाखा

(घ) जल विज्ञान शाखा में पदों की कुल संख्या आठ होगी। इस कुल आठ पदों की संख्या में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। जल विज्ञान शाखा में आठ अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में एक वर्ष में होने वाली रिक्ति वैज्ञानिक 'ग' के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होगी, परंतु यह कि वैज्ञानिक 'ग' की श्रेणी में कुल पद सात से अधिक नहीं हो सकते।

जलोल्का विज्ञान शाखा

- (ङ) जलोल्का विज्ञान शाखा में पदों की कुल संख्या नौ होंगी। इन नौ पदों की कुल संख्या में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ख' या वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। एक वर्ष में होने वाली रिक्ति जलोल्का विज्ञान शाखा के नौ अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होगी।
- (च) स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए सुनम्य कोटिपूरक योजना को विभागीय वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक 'ख' से वैज्ञानिक 'ग' और वैज्ञानिक 'ग' से वैज्ञानिक 'घ' श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनाया जाएगा। इन श्रेणियों में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के बिना पूर्ण रूप से अंतर-परिवर्तनशीलता होगी, परंतु यह कि प्रत्येक शाखा की कुल पदों की संख्या उस शाखा की स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक न हो, जिसमे कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

8 **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों में से किसी पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

9. प्रोन्नति या किसी वैज्ञानिक द्वारा त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरना:

- (1) मूल्यांकन के पश्चात स्वस्थाने प्रोन्नति वैज्ञानिक द्वारा धारित पद वैज्ञानिक के पास ही रहेगा और परिणामस्वरूप कोई रिक्ति नहीं होगी ।
- (2) जब किसी वैज्ञानिक द्वारा सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र देने या मृत्यु के परिणामस्वरूप पद रिक्त हो जाता है तो उस पद को, जल विज्ञान शाखा को छोड़कर, उनसे संबंधित शाखाओं में वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर भरा जाएगा। जल विज्ञान शाखा के मामले में ऐसी रिक्ति को वैज्ञानिक 'ग' के स्तर पर सीधी भर्ती या प्रोन्नति के रोस्टर के अनुसार भरा जाएगा।
- 10. भारत के किसी भी भाग या बाह्य सेवा का दायित्व : उक्त पदों पर नियुक्त अधिकारी पर भारत में या बाह्य सेवा करने का दायित्व होगा।
- 11. शिथिल करने की शक्ति :जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 12. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जितयों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम		पद की संख्या	वर्गीकरण
	(1)	(2)	(3)
1. वैज्ञानिक 'ख' (जलभू-विज्ञान)		इस अधिसूचना के नियम 7 के	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित,
		उपनियम (क) में विनिर्दिष्ट अनुसार	अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100	चयन	32 वर्ष से अधिक नहीं ।
₹.)		टिप्पण-1 : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए
		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के
		लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
		टिप्पण -2 : आयु सीमा अवधारित करने की
		निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा
		आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या	आयु: नहीं ।
समुद्री भूविज्ञान या जलभू विज्ञान में मास्टर डिग्री ।	शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ ।
टिप्पण: अर्हतायेँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के	
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	

	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की
	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों	ű –
	द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	स्थानांतरण किया जाएगा ।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	` '	प्रोम्नित: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600 रु.) में ऐसे सहायक जलभू - विज्ञानी जिन्होने उस श्रेणी में 02 वर्षों की नियमित सेवा की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर / आईएसटीएम, नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रबंधन पहलुओं तथा नेतृत्व कुशलता में 02 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,
		जिन्होंनें अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली

है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदाभी है):-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 02 वर्ष की सेवा है: और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हता और अनभव हैं।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक
		सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: -		प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से
1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष ;	परामर्श करना आवश्यक है।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ,जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	-सदस्य;	
3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ,जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य	
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:		
1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- अध्यक्ष;	
2. संयुक्त सचिव , जल शक्ति मंत्रालय ,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य;	
3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.वैज्ञानिक 'ख'	इस अधिसूचना के नियम 7 के	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100 रुपये)	चयन	32 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण-1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)
आवश्यक	आयु: नहीं
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या अनुप्रयुक्त	शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ
भौतिकी या भूभौतिकी या अनुप्रयुक्त भूभौतिकी या समुद्री भूभौतिकी या	टिप्पण : इस अधिसूचना की तारीख पर सहायक
एकीकृत एमएससी (अन्वेषी भूभौतिकी) या एमएससी (तकनीकी) (अनुप्रयुक्त	भूभौतिकीविद् की श्रेणी में विद्यमान अभ्यर्थी,
भूभौतिकी) में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री ।	जिनके पास रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रोनिक्स या
टिप्पण: अर्हतायें अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा	भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में मास्टर डिग्री
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	की अर्हता है, प्रोन्नति के लिए विचार करने हेतु पात्र
Ç	होंगे। भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में मास्टर
	डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा स्नातक डिग्री स्तर पर एक
	विषय के रूप में भौतिकी का अध्ययन आवश्यक है।

न (रि संर्ग 50 टि सेव सर्ग	े प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जेसके अंतर्गत अल्पकालीक विदा भी है), I े प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। प्पण: सीधी भर्ती संघ लोक वा आयोग द्वारा आयोजित म्मिलित भू-वैज्ञानिक और विज्ञानी परीक्षा के माध्यम से गी।	प्रोन्नित : वितन मैट्रिक्स के स्तर-8 में ऐसे सहायक भूभौतिक विज्ञानी जिन्होने उस श्रेणी में 02 वर्षों की नियमित सेवा की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर / आईएसटीएम , नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रवंधन पहलुओं तथा नेतृत्व कुशलता पर 02 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंनें अपनी
		आर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों या पिलक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 02 वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएँ हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा प्रतिनियुक्ति की
		प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: -		प्रत्येक अवसर पर् संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष;	करना आवश्यक है।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ,जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य;	
3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ,जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य ।	
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:		
1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- अध्यक्ष;	
2. संयुक्त सचिव , जल शक्ति मंत्रालय ,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य;	
3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.वैज्ञानिक 'ख '	इस	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	32 वर्ष से अधिक नहीं ।
(रासायनिक)	अधिसूचना के नियम 7 के	समूह 'क', राजपत्रित,	स्तर -10		टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा
	उपनियम (ग)	अननुसचिवीय।	(56100 रुपये)		जारी किए गए आदेशों और
	में विनिर्दिष्ट				अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक
	अनुसार I				शिथिल की जा सकती है।
					टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित
					करने की निर्णायक तारीख वह
					होगी जो संघ लोक सेवा आयोग
					द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

(7)	(8)
आवश्यक	आयु: नहीं
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायनशास्त्र या अनुप्रयुक्त रसायन	शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ
शास्त्र या विश्लेषणात्मक रासायन शास्त्र में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री	
टिप्पण: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के	
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित भू-	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में ऐसे सहायक रसानायज्ञ जिन्होंने उस ग्रेड में 02 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर/आईएसटीएम, नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रबंधन पहलुओं तथा नेतृत्व

वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक परीक्षा के कुशलता पर 02 सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा माध्यम से होगी। किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंनें अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंत यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):-केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 02 वर्ष की सेवा है ; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएँ हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:
1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

2. अध्यक्ष , केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ,जल शक्ति मंत्रालय,
 जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ,जल शक्ति मंत्रालय,
 जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

- सदस्य ।

समूह 'क' विभागीय पृष्टि समिति:

सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम

तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,	
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- अध्यक्ष;
2. संयुक्त सचिव , जल शक्ति मंत्रालय ,	
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य;
3. सदस्य, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,	
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.वैज्ञानिक 'ख ' (जल्लोका विज्ञान)	इस अधिसूचना के नियम 7 के उपनियम (ड़) में विनिर्दिष्ट अनुसार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100 रुपये)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण -1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण -2: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)
आवश्यक	आयु: नहीं
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जल्लोका विज्ञान/भौतिकी/अनुप्रयुक्त	शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ
भौतिकी / गणित/ सांख्यिकी में मास्टर डिग्री	
(ii) जल्लोका विज्ञान कार्य में केंद्रीय /राज्य सरकार/स्वशासी निकाय/पब्लिक सेक्टर	
उपक्रमों /मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयों /संस्थानों में 3 वर्ष का अनुभव	
टिप्पण 1 : अर्हतायें, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध	
किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा	
आयोग के विवेकानुसारअनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की	
दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा	
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित	
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की	
संभावना नहीं है।	

(9)	(10)	(11)
एक वर्ष	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित भू-वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से होगी।	प्रोम्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में सहायक जलोल्का विज्ञानी जिन्होंने इस श्रेणी में 02 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर / आईएसटीएम, नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रवंधन पहलुओं तथा नेतृत्व कुशलता पर 02 सप्ताह के

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंनें अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 02 वर्ष की सेवा है: और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: -		प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष;	परामर्श करना आवश्यक है।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य	
3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य ।	
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:		
1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- अध्यक्ष;	
2. संयुक्त सचिव , जल शक्ति मंत्रालय ,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य;	
3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. वैज्ञानिक 'ग'	इस अधिसूचना	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स	चयन	जलविज्ञान शाखा के लिए :-
(क) (जल विज्ञान)	के नियम 7 में	सेवा, समूह 'क',	में स्तर - 11		40 वर्ष से अधिक नहीं ।
वैज्ञानिक 'ग'	विनिर्दिष्ट	राजपत्रित,	(67700 रु))		टिप्पण -1: केंद्रीय सरकार
(ख) (जलभूविज्ञान)	अनुसार	अननुसचिवीय			द्वारा जारी किए गए अनुदेशों
ै वैज्ञानिक 'ग'					या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
(ग़) (भूभौतिकी)					पाँच वर्ष तक शिथिल की जा
वैज्ञानिक 'ग'					सकती है।
(घ) (रासायनिक)					टिप्पण -2: आयु सीमा
वैज्ञानिक 'ग'					अवधारित करने की निर्णायक
(ड़) (जलोल्का विज्ञान)					तारीख भारत में अभ्यर्थियों
वैज्ञानिक 'ग'					से आवेदन प्राप्त होने की
अस्तासिक स					अंतिम तिथि होगी, न कि
					असम, मेघालय, अरुणाचल
					प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,
					जम्मू और कश्मीर का लद्दाख
					खंड , लाहौल और स्पीति
					जिला तथा हिमाचल प्रदेश का पांगी उपखंड, अंडमान और
					निकोबार द्वीप समूह या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गयी अंतिम
					तारीख ।
					अन्य शाखाओं के लिए :- लागू नहीं होता ।
					नहा हाता ।

(7)	(8)
जल विज्ञान शाखा के लिए	जल विज्ञान शाखा के लिए
(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से जलविज्ञान में मास्टर डिग्री या	आयु: नहीं
सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री	शैक्षिक अर्हता : हाँ ।
(ii)जलविज्ञान या भूमिजल जल विज्ञान में केंद्रीय /राज्य सरकार /स्वशासी निकाय/पब्लिक	अन्य शाखाओं के लिए:लागू नहीं होता ।
सेक्टर उपक्रमों / मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 5 वर्ष का अनुभव	
वांछनीय :	
भूजल अन्वेषण में विभिन्न नियोजित पद्धतियों का कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।	
टिप्पण1 : अर्हतायें, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध	
किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	
टिप्पण2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा	
आयोग के विवेकानुसारअनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की	
दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा	
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित	
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की	
संभावना नहीं है।	
अन्य शाखाओं के लिए : लागू नहीं होता ।	

(9)	(10)	(11)
जल विज्ञान शाखा के लिए : एक वर्ष । अन्य शाखाओं के लिए : लागू नहीं होता ।	जल विज्ञान शाखा के लिए: 40 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अन्य शाखाओं के लिए: सुनम्य कोटिपूरक योजना (एफ़सीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्निति द्वारा।	जलिकान शाखा के लिए: प्रोप्ति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600 रु.) में ऐसे सहायक जलभू-विज्ञानी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर/आईएसटीएम, नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रबंधन पहलुओं तथा नेतृत्व कुशलता पर 02 सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंनें अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनयुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों

या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों
या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या संविधिक या कानूनी या
स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:
(क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर
सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर
-10 (56100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार
पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष
की सेवा की है ; और
(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए
विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।
टिप्पण 1: अर्हतायेँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की
दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा
सकती है।
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कारणों के लिए जो
लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की
जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक
सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध
होने की संभावना नहीं है।
अन्य शाखाओं के लिए :
स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा ।
वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (56,100 रु.) में ऐसे
संबन्धित शाखा में वैज्ञानिक 'ख' जिन्होंने सुनम्य
कोटिपूरक योजना के अनुसार उस श्रेणी में तीन वर्ष की
नियमित सेवा की है।
सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति ।
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700 रु.) में ऐसे संवन्धित
शाखा में वैज्ञानिक 'ग' जिन्होंने सुनम्य कोटिपूरक
योजना में उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की है।

(12)		(13)
जल विज्ञान शाखा के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: - 1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/ आयुक्त, जल शक्ति मंत्रालय,	- अध्यक्ष;	जल विज्ञान शाखाओं के लिए : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। अन्य शाखाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग 3. अध्यक्ष , केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ,जल शक्ति मंत्रालय,	- सदस्य;	परामरा करना जायस्यक महा हा
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य।	

समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:

- 1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष;
- 2. संयुक्त सचिव , जल शक्ति मंत्रालय ,

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

- सदस्य ।

- सदस्य:

अन्य शाखाओं के लिए:

आंतरिक स्क्रीनिंग समिति :

- संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय,
 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग अध्यक्ष ;
- क्षेत्रीय निदेशक (वैज्ञानिक शाखा),
 केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय,
 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग सदस्य;
- 3. वैज्ञानिक (ङ्) अन्य संबन्धित सरकारी संस्थान से सदस्य;

अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी:

सचिव/अपर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

मूल्यांकन बोर्ड:

- सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास
 अौर गंगा संरक्षण विभाग
 अध्यक्ष:
- अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड , जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग सदस्य;
- भूजल संसाधन के विकास और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्र से केंद्रीय भूमिजल बोर्ड से बाह्य वैज्ञानिक 'घ' स्तर के तीन विशेषज्ञ -सदस्य । अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी :

प्रभारी मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.वैज्ञानिक ' घ '	इस अधिसूचना के नियम	साधारण केंद्रीय	वेतन	चयन	लागू नहीं होता
(क) (जल विज्ञान)	7 में विनिर्दिष्ट अनुसार	सेवा, समूह 'क',	मैट्रिक्स में		
वैज्ञानिक 'घ'		राजपत्रित,	स्तर - 12		
(ख) (जलभू- विज्ञान)		अननुसचिवीय।	(78800		
वैज्ञानिक 'घ'			रुपये)		
(ग़) (भूभौतिकी)					
वैज्ञानिक 'घ'					
(घ) (रासायनिक)					
वैज्ञानिक 'घ'					
(ड़) (जलोल्का विज्ञान)					
वैज्ञानिक 'घ'					

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा	सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700 रु.) में ऐसे संवन्धित शाखा में वैज्ञानिक 'ग' जिन्होंने सुनम्य कोटिपूरक योजना के अनुसार उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की है।

(12)		(13)
'आंतरिक स्क्रीनिंग समिति'	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना	
1. संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय,		आवश्यक नहीं है।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- अध्यक्ष;	
2. सदस्य , केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ,जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	सदस्य ;	
3. वैज्ञानिक 'ई', अन्य संबन्धित सरकारी संस्थान से	- सदस्य;	
4. डीएई या डीओएस या डीआरडीओ के कम से कम		
एक स्तर ऊपर के नामित सदस्य	– सदस्य ।	
मूल्यांकन बोर्ड		
1. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास		
और गंगा संरक्षण विभाग	- अध्यक्ष;	
2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड , जल शक्ति मंत्रालय,		
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य;	
3. भूजल संसाधन के विकास और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्र से		
केंद्रीय भूमिजल बोर्ड से वाह्य वैज्ञानिक 'ड़' स्तर के तीन विशेषज्ञ	- सदस्य	
अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी :		
प्रभारी मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय		

[फा.सं. ए. 31017/01/2017-जीडबल्यूई (भाग- I)]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 10th February, 2020

- G.S.R. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Ground Water Board (Scientific Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President is hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Scientific Group 'A' posts in the Central Ground Water Board, namely:-
- 1. Short-title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (Scientific Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** In these rules unless, the context otherwise requires:
- (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

- (b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation;
- (c) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted to consider promotion or confirmation in any grade;
- (d) "Government" means the Government of India;
- (e) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;
- (f) "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under these rules and includes any period or periods-
- (i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those appointment at the initial constitution of the service;
- (ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;
- (g) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;
- **3. Application** .—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule.
- **4. Number of posts, classification and level in pay matrix.** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall, save as provided in rule 8, be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
- 5. The method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
- 6. Procedure for in-situ Promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS).-
- (i) In situ promotion from Scientist 'B' to Scientist 'C' and Scientist 'C' to Scientist 'D' will be done as per guideline issued by the DoP&T OM No.AB-14-17/37/2008-Estt (RR) dated 10.09.2010 and as amended from time to time. In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme is applicable to Group 'A' Scientist posts only. Scientists or Technical experts doing management or administrative work in the Departments or Ministries should not be considered for up gradation under Flexible Complementing Scheme, they should only be given benefits of up gradation under Modified Assured Progression Scheme.
- (ii) All the posts covered under Flexible Complementing Scheme shall carry the following uniform level in the pay matrix, designation and the minimum residency period linked to performance.

Designation of post.	Level in the Pay Matrix	Minimum Residency period linked to performance
Scientist 'D'	Level- 12 (Rs.78800) in the pay matrix.	-
Scientist 'C'	Level-11 (Rs.67700) in the pay matrix.	Four years.
Scientist 'B'	Level- 10 (Rs.56100) in the pay matrix.	Three years.

- (iii) There shall be two level of assessment, the first level shall be at internal level for screening purposes and the next level shall be for external assessment purposes for selection and for this purpose:
- (a) (i) The review for promotion under Flexible Complementing Scheme by the Screening Committee shall be done twice in a year, before 1st January and 1st July of every year.
- (ii) All candidates who have completed the prescribed period of residency shall be reviewed for promotion by the Assessment Board twice a year namely before the 1st January and the 1st July of every year.
- (iii) The cases maturing for promotion under Flexible Complementing Scheme during January to June of the year shall be taken up for review in the month of July of that year and the cases maturing for promotion during July to December of a year shall be taken up for review in the month of January of the next year.
- (b) Where an eligible officer is on foreign service or study leave in India or abroad, his or her case shall be considered and if such person has been approved for in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme to the next higher grade, the effective date of such promotion shall be from the date of resumption of duty in the Central Ground Water Board and financial benefit shall accrue from the same date and no travelling allowance or dearness allowance shall be provided to attend the interview;

- (c) The exceptionally meritorious candidates with all outstanding grading may be granted relaxation in the residency period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career. The assessment under the Flexible Complementing Scheme for next grade shall only be three times and thereafter, the Scientist would be covered under Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme according to provision of that scheme and the Scientists who have been granted any grade under Modified Assured Career Progression Scheme may be considered for next grade under Flexible Complementing Scheme.
- (d) Field experience in research and development and/ or experience in implementation of such scientific projects is compulsory for promotion of Scientists to higher grades under the Flexible Complementing Scheme.
- (iv) The First level of Internal Screening shall be done by the screening committee specified in column (12) of Schedule, which shall evaluate the annual work reports in accordance within the criteria for up gradation under the Flexible Complementing Scheme. All eligible Scientists according to the provision of Modified Flexible Complementing Scheme and who meet the benchmark as per instruction of Department of Personnel and Training from time to time, shall be screened in the Internal Screening Committee (ISC) would report on the scientific content of work done by the Scientists in. The Internal Screening Committee shall report on the scientific content of work done by the Scientists in following reporting format and same shall be made available to the external assessment committee.

Internal Screening Committee Report:

- 1. Grading of the scientific and technical content of work reported:
- 2. Specific Innovation elements recognized:
 - (A)
 - (B)
 - (C)
- 3. Relative Assessment of the work reported vis-a-vis Peers in the area [Top 10 per cent 10-33 per cent 33-50 per cent 50-75 per cent Bottom 25 per cent]
- 4. Assessment of the work done during the residency period
- 5. Specific highlights of the scientific and technical content of the work done
- 6. Overall grading of the scientific and technical work report for the residency
 - Period [Top 10 per cent 10-33 per cent 33-50 per cent 50-75 per cent Bottom 25 per cent]
 - Signatures of the Members of the Internal Screening Committee
- (v) The Approving Authority (Screening), specified in column (12) of Schedule shall consider all cases recommended by the Internal Screening Committee and approve the same and in case it decides that any officer does not qualify for consideration for promotion by the Assessment Board, his or her case shall be placed before the Internal Screening Committee after one year for its consideration and the procedure for Screening as specified in sub rule (iv) shall be followed again.
- (vi) For the purpose of second level of external assessment (external):
- (a) for evaluating suitability of Scientists for in-situ promotion; all Scientists who have been screened-in and recommended by the Internal Screening Committee [and approved by the Approving Authority (Screening)] shall be assessed by the Assessment Board specified in Column (12) of Schedule;
- (b) the Assessment Board shall evaluate the accomplishments of each Scientist in terms of their work and recommend his or her suitability for promotion to the higher grade and the said Board shall, apart from the accomplishments of such officer during the period under consideration, also keep in mind the keenness exhibited by such officer in the pursuit of his or her profession and ability to take up higher responsibilities including scientific activities and services and development capabilities, managerial or leadership qualities.
- (c) The Assessment Board after taking into consideration performance and merit of each Scientist shall, document specifically through one page summary, the specific content of the work done justifying the merit for consideration under the Flexible Complementing Scheme. The Assessment Board shall specifically certify that the Scientists so recommended met with all the criteria for in situ up-gradation under the Flexible Complementing Scheme.
- (d) On the basis of its assessment, the Assessment Board may recommend any one of the following:-
- (i) Promotion of the Officer to the next higher grade; or
- (ii) Status quo-i.e. no change in the grade;

- (e) Cases of those officers who have been recommended status quo by the Assessment Board shall again be considered by the Internal Screening Committee after a period of one year subject to his or her satisfactory performance.
- (f) The Scientists who fail to appear physically for the Assessment for the reasons of leave or deputation or Foreign Services shall not be eligible for in-situ promotion.
- (vii) The recommendations made by the Assessment Board shall be considered by the Approving Authority (Assessment) specified in Column (12) of Schedule and its decision on each case shall be final.

7. Number of Posts in each discipline will be as under:

Hydrogeology Discipline:

(a) The total number of posts in the Hydrogeology discipline shall be 290, which is subject to variation depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'B' or Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of 290 officers in the Hydrogeology discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'B' (Hdrogeology discipline) cannot exceed 174.

Geophysics Discipline:

(b) The number of posts in the Geophysics discipline shall be 31. This total number of 31 posts is subject to variation depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'B' or Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of 31 officers in the Geophysics discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'B' provided that total no. of posts in the grade of Scientist 'B' (Geophysics) cannot exceed 25.

Chemical Discipline:

(c) The number of posts in the Chemical discipline shall be 32. This total number of 32 posts is subject to various depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'B' or Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of 32 officers in the Chemical discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'B' provided that total no. of posts in the grade of Scientist 'B' (Chemical) cannot exceed 23.

Hydrology Discipline:

(d) The number of posts in the Hydrology discipline shall be eight. This total number of eight posts is subject to various depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of eight officers in the Hydrology discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'C' provided that total no. of posts in the grade of Scientist 'C' cannot exceed seven.

Hydrometeorology Discipline:

- (e) The total number of posts in the Hydrometeorology discipline shall be nine. This total number of nine posts is subject to variation depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'B' or Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of nine officers in the Hydrometeorology discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'B'.
- (f) Flexible Complementing Scheme for in situ promotion shall be followed in respect of Departmental Scientists, from the grades of Scientists 'B' to Scientist 'C' and Scientist 'C' to Scientist 'D' and there shall be complete interchangeability in these grades without any restriction except the total number of officers taken together in each discipline shall not exceed the total number of sanctioned posts in that discipline, which are subject to change depending on workload.

8. Disqualification.- No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

9. Filling up of vacancies arising due to promotion or vacation of the post by a Scientist due to resignation or retirement or death:

(1) A Scientist promoted in-situ after a review shall carry the post with him and consequently no vacancy is caused.

- (2) When a vacancy is caused due to a Scientist vacating a post by retirement on superannuation or voluntary retirement or resignation or death, the same shall be filled in at the level of Scientist 'B' in their respective disciplines, except Hydrology discipline, in accordance with the roster for direct recruitment or promotion. In case of Hydrology discipline, such vacancy shall be filled in at the level of Scientist 'C' in accordance with the roster for direct recruitment or promotion.
- 10. Liability for Service in any part of India or outside: Officers appointed to the said posts shall be liable to serve anywhere in India or outside.
- 11. Power to relax-: where Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 12. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	
(1)	(2)	(3)	
1. Scientist 'B' (Hydrogeology)	As specified in Sub-rule (a)	General Central Service, Group 'A',	
	of rule 7 of this notification	Gazetted, Non-Ministerial	

Level in pay matrix	Whether selection	Age-limit for direct recruits	
	post or non		
	selection post		
(4)	(5)	(6)	
Level- 10 (Rs.56100) in the pay	Selection	Not exceeding 32 years.	
matrix		Note-1: Relaxable for Government servants upto five	
		years' in accordance with the instructions or orders issued	
		by the Central Government.	
		Note-2: The crucial date for determining the age limit shall	
		be as advertised by Union Public Service Commission.	

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and qualifications prescribed for	
	direct recruits will apply in the case of promotees	
(7)	(8)	
Master's degree in Geology or Applied Geology or Marine	Age: No.	
Geology or Hydrogeology from a recognized University or	Educational Qualifications: Yes.	
Institute.		
Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union		
Public Service Commission for the reasons to be recorded in		
writing. In the case of candidates otherwise well qualified.		

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by	In the case of recruitment by promotion or	
	direct recruitment or by promotion	deputation/ absorption grade from which	
	or by deputation/absorption and	promotion or deputation/ absorption to be made	
	percentage of vacancies to be filled		
	by various methods		
(9)	(10)	(11)	
Two years	50 % by promotion failing which	Promotion:	
	by deputation (including short	Assistant Hydrogeologists in level- 8	
	term contract).,	(Rs.47600/-) in the pay matrix with two years	
	50 % by direct recruitment.	regular service in the grade and have	
	Note: Direct Recruitment will be	successfully completed two weeks training in	
	through Combined Geo-Scientist	induction level management aspects and	
	and Geologist Examination	leadership traits from Rajiv Gandhi National	
	conducted by the Union Public	Ground Water Training and Research Institute,	
	Service Commission.	Raipur/ ISTM, New Delhi or any other	
		Government reputed training Institutes.	
		Note: Where juniors who have completed their	
		qualifying or eligibility service are being	

exceeding 56 years as on the closing date of

receipt of applications.

considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory Autonomous Organizations:-(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 8 (Rs. 47600) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column No. (7). Note: The departmental officers in the feeder Category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union
		Public Service Commission is
		to be consulted in making
		recruitment
(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee :-		Consultation with the Union
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission.	- Chairman;	Public Service Commission
2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti,		necessary on each occasion.
Department of Water Resource, River Development and		
Ganga Rejuvenation.	- Member;	
3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti,		
Department of Water Resource, River Development and		
Ganga Rejuvenation.	- Member.	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee:		
1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti,		
Department of Water Resource, River Development and		
Ganga Rejuvenation.	 Chairman; 	
2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water		
Resource, River Development and Ganga Rejuvenation.	- Member;	
3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti,		
Department of Water Resource, River Development and		
Ganga Rejuvenation.	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientist 'B'	As specified in	General Central	Level- 10	Selection	Not exceeding 32 years.
(Geophysics)	Sub-rule (b) of	Service,	(Rs.56100)		Note 1: Relaxable for
	rule 7 of this	Group 'A', Gazetted,	in the pay		Government servants upto
	notification.	Non Ministerial	matrix.		five years in accordance with
					the instructions or orders
					issued by the Central
					Government.
					Note 2: The crucial date for
					determining the age limit
					shall be as advertised by
					Union Public Service
					Commission.

Essential

Master of Science degree in Physics or Applied Physics or Geophysics 0r Applied Geophysics or Marine Geophysics or Integrated M.Sc (Exploration Geophysics) or M.Sc (Technology) (Applied Geophysics) from a recognised University or Institute.

(7)

Note: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Age: No

Educational Qualifications: Yes Note: Existing incumbents in Grade of Assistant Geophysicist on the date of this notification, possessing the qualification of Master's Degree in Radio Physics and Electonics or Geology or Applied Geology will be eligible for consideration for promotion. Incumbents possessing Master's Degree in Geology or Applied Geology must have had Physics as one of the subjects at the Bachelor's Degree level.

(8)

(9)	(10)	(11)
Two years	50% by promotion failing which by deputation (including short term contract)., 50 % by direct recruitment. Note: Direct Recruitment will be through Combined Geo-Scientist and Geologist Examination conducted by the Union Public Service Commission.	Promotion: Assistant Geophysicist in level-8 (Rs.47600/-) in the pay matrix with two years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in induction level management aspects and leadership traits from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi or any other Government reputed training Institutes. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or

Recognized Research Institutions or Public
Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous
Organizations:
(a) (i) holding analogous posts on a
regular basis in the parent Cadre or
Department; or
(ii) with two years' regular service
rendered after appointment to the post on a
regular basis in level 8 (Rs.47600/-) in the
pay matrix or equivalent in the parent Cadre
or Department; and
(b) Possessing the educational qualifications
and experience prescribed for direct recruits
under Column No. (7).
Note 1: The departmental officers in the
feeder grade who are in direct line of
promotion will not be eligible for consideration
for appointment on deputation. Similarly
deputationists shall not be eligible for
consideration for appointment by promotion.
Note 2 : Period of deputation including period of
deputation in another ex-cadre post held
immediately preceding this appointment in the
same or some other organization or department
of the Central Government shall ordinarily not
to exceed three years. The maximum age limit
for appointment by deputation shall be not
exceeding 56 years as on the closing date of
receipt of applications.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee :		Consultation with Union Public
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission;	- Chairman;	Service Commission necessary on
2. Chairman, Central Ground Water Board,		each occasion.
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation;	- Member;	
3. Member, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation.	- Member.	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee:		
1. Chairman, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation;	- Chairman;	
2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of		
Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation;	- Member;	
3. Member, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation.	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientist 'B'	As specified in Sub-	General Central	Level-10	Selection	Not exceeding 32 years.
(Chemical)	rule (c) of rule 7 of	Services, Group	(Rs.56100) in		Note 1: Relaxable for
	this notification	'A' Gazetted,	the pay matrix		Government servants upto
		Non-Ministerial			five years in accordance with
					the instructions or orders
					issued by the Central
					Government.
					Note 2: The crucial date for
					determining the age-limit
					shall be as advertised by
					Union Public Service
					Commission.

(7)	(8)
Essential:	Age: No
Master of Science degree in Chemistry or Applied Chemistry or	Educational Qualifications: Yes
Analytical Chemistry from a recognised University or Institute.	
Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public	
Service Commission	
for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise	
well qualified.	

(0)	(10)	
(9)	(10)	(11)
Two years	50% by promotion failing	Promotion:
	which by deputation (including short term	Assistant Chemist in level 8 (Rs.47600/-) in the pay
	(including short term contract).,	matrix with two years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in
	50% by Direct Recruitment.	induction level management aspects and leadership
	5070 by Brieet Recruitment.	traits from Rajiv Gandhi National Ground Water
	Note: Direct Recruitment	Training and Research Institute, Raipur or Institute of
	will be through Combined	Secretariat Training and Management, New Delhi or
	Geo-Scientist and Geologist	any other Government reputed training Institutes.
	Examination conducted by	Note: Where juniors who have completed their
	the Union Public Service	qualifying or eligibility service are being considered
	Commission.	for promotion, their seniors would also be considered
		provided they are not short of the requisite qualifying
		or eligibility service by more than half of such
		qualifying or eligibility service, or two years,
		whichever is less, and have successfully completed
		their probation period for promotion to the next higher
		grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
		Deputation (including short term contract):
		Officers under the Central or State Government or
		Union Territories or Universities or Recognized
		Research Institutions or Public Sector Undertakings/
		Statutory or Autonomous Organizations:-
		(a) (i) holding analogous posts on regular basis
		in the parent Cadre or Department; or
		(ii) with two years' regular service rendered after
		appointment to the post on regular basis in the
		Level-8 in the pay matrix or equivalent in the
		parent Cadre or Department; and
		(b) Possessing the educational qualifications and
		experience laid down for direct recruitment under Column No. (7).
		Note 1: The departmental officers in the feeder
		category who are in direct line of promotion will not
		be eligible for consideration for appointment on
		deputation. Similarly deputationists shall not be
		eligible for consideration for appointment by
		promotion.
		Note 2: Period of deputation including period of
		deputation in another ex-cadre post held immediately
		preceding this appointment in the same or some other
		organization or department of the Central
		Government shall ordinarily not to exceed three
		years. The maximum age limit for appointment by
		deputation shall be not exceeding 56 years as on the
	L	closing date of receipt of applications.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee:		Consultation with Union
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission;	- Chairman;	Public Service Commission
2. Chairman, Central Ground Water Board,		necessary on each occasion.
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation;	- Member;	
3. Member, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation.	- Member.	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee:		
1. Chairman, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation;	- Chairman;	
2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of		
Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation;	- Member;	
3. Member, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation.	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Scientist 'B'	As	General	Level 10	Selection	Not exceeding 35 years.
(Hydrometeorology)	specified	Central	(Rs.56100)		Note 1: Relaxable for Government
	in Sub-	Services,	in the pay		servants upto five years in
	rules (e) of	Group 'A'	matrix.		accordance with the instructions or
	rule7 of	Gazetted,			orders issued by the Central
	this	Non-			Government.
	notification	Ministerial.			Note 2: The crucial date for
					determining the age-limit shall be as
					advertised by Union Public Service
					Commission.

(7)	(8)
Essential:	Age: NO
(i) Master's degree Meteorology or Physics or Applied physics or Geophysics or	Educational Qualifications: No
Mathematics or Statistics from a recognized University or Institute.	
(ii) Three years' experience in Central or State Govt. or Autonomous Bodies or	
Public Sector Undertakings or Recognised Universities or Institutes in	
Meteorological work.	
Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service	
Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates	
otherwise well qualified.	
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of	
the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing in	
the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at	
any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that	
sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite	
experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

(9)	(10)	(11)
One year.	25% by promotion failing which by	Promotion:
	deputation (including short-term	Assistant Hydrometeorologist in level 8 (Rs.
	contract).,	47600/-) in the pay matrix with two years
	75 % by Direct Recruitment.	regular service in the grade and have
	Note: Direct Recruitment will be	successfully completed two weeks training in
	through Combined Geo-scientist and	induction level management aspects and
	Geologist Examination conducted by	leadership traits from Rajiv Gandhi National
	the Union Public Service Commission.	Ground Water Training and Research Institute,
		Raipur or Institute of Secretariat Training and
		Management, New Delhi or any other
		Government reputed training Institutes.
		Note: Where juniors who have completed their

qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short term contract):** under the Central or State Officers Government or Universities or Union Territories or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level-8 in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column No. (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit

for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of

receipt of applications.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee:		Consultation with Union Public
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission;	- Chairman;	Service Commission necessary on
2. Chairman, Central Ground Water Board,		each occasion.
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation;	- Member;	
3. Member, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation.	- Member.	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee:		
1. Chairman, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation;	- Chairman;	
2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of		
Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation;	- Member;	
3. Member, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation.	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Scientist 'C'	As	General	Level	Selection	For Hydrology Discipline:-Not
(a) Scientist 'C'	specified in	Central	11		exceeding 40 years.
(Hydrology)	rule 7 of	Service,	(Rs.		Note 1: Relaxable for Government
(b) Scientist 'C'	this	Group 'A',	67700/-)		Servants upto five years' in accordance
(Hydrogeology)	notification.	Gazetted,	in the		with the instructions or orders issued
(c) Scientist 'C'		Non-	pay		by the Central Government.
(Geophysics)		Ministerial.	matrix.		Note 2: The crucial date for
(d) Scientist 'C'					determining the age limit shall be the
(Chemical)					closing date for receipt of applications
(e) Scientist 'C'					from candidates in India, and not the
(Hydrometeorology)					closing date prescribed for those in
					Assam, Meghalaya, Arunachal
					Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Union Territories of
					Ladakh and Lahaul and Spiti District
					and Pangi Sub Division of Chamba
					District of Himachal Pradesh,
					Andaman and Nicobar Islands or
					Lakshadweep.
					For other Disciplines:- Not applicable.

(7)	(8)
For Hydrology discipline:	For Hydrology discipline:
Master's degree in Geology or Hydrology or Bachelor Degree in Civil	Age: No
Engineering from University or Institutes.	Educational Qualification:
Engineering from emversity of institutes.	Yes
(ii) Five years' experience in Central or State Government or Autonomous	For other disciplines: Not
Bodies or PSUs or Recognised Universities or Institutes in Hydrology or ground	applicable.
water hydrology.	app.neuere.
Desirable:	
At least one year experience of working in different methods employed in the	
ground water exploration.	
Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of Union Public Service	
Commission, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates	
otherwise well qualified.	
Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of	
Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing in case of	
candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of	
selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient	
number of candidates from these communities possessing the requisite experience are	
not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
For other discipline: Not applicable.	

(9)	(10)	(11)	
For Hydrology	For Hydrology	For Hydrology discipline:	
discipline:	discipline:	Promotion:	
One year.	40 % by promotion	Assistant Hydrologist in level-8 (Rs.47600/-) in the pay matrix	
For other	failing which by	with 6 years' service in the grade rendered after appointment	
disciplines:	deputation (including	thereto on a regular basis and have successfully completed two	
Not applicable.	short-term contract);	weeks training in middle level management aspects and leadership	
	60 % by direct	traits from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and	
	recruitment.	Research Institute, Raipur or Institute of Secretariat Training and	
	For other disciplines:	Management, New Delhi or any other Government reputed training	
	By in-situ promotion	Institutes.	
	under Flexible	Note: Where juniors who have completed their qualifying or	
	Complementing Scheme.	eligibility service are being considered for promotion, their seniors	
		would also be considered provided they are not short of the	
		requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	
		qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less,	
		and have successfully completed their probation period for	

promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central or State Government or Universities or Union Territories or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with five years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 10 (Rs.56100/-)in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column No. (7). Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. For other disciplines: By in-situ promotion. Scientist 'B' in concerned discipline in the level 10 (Rs.56100/-) in the pay matrix with three years regular service in the grade according to Flexible Complementing Scheme. In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme.

(12)		(13)
For Hydrology discipline:		For Hydrology disciplines:
Group-'A' Departmental Promotion Committee:		Consultation with Union Public
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission;	- Chairman;	Service Commission is necessary
2. Additional Secretary or Joint Secretary or Commissioner,		on each occasion.
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation;	- Member;	For other discipline.
3. Chairman, Central Ground Water Board,		Consultation with Union Public
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		Service Commission not
River Development and Ganga Rejuvenation.	- Member.	necessary.
Group 'A' Departmental Confirmation Committee:		
1. Chairman, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources		
River Development and Ganga Rejuvenation;	 Chairman; 	
2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti,		
Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation;	 Member; 	
3. Member, Central Ground Water Board,		
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		
River Development and Ganga Rejuvenation.	- Member.	
For other disciplines:		
Internal Screening Committee:		

Scientist 'C' in concerned discipline in the level 11 (Rs.67700/-) in the pay matrix with four years regular service in the grade

according to Flexible Complementing Scheme.

	_	
1.	Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti,	
	Department of Water Resources,	
	River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;	
2.	Regional Director (Scientific Discipline),	
	Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti,	
	Department of Water Resources;	
	River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;	
3.	Scientist E from other relevant Government Institution; - Member;	
4.	A nominee of Department of Atomic Energy or	
	Department of Space or Defence Research and	
	Development Organisation of at least one level above Member.	
	Approving Authority:	
	Secretary or Additional Secretary, Ministry of Jal Shakti,	
	Department of Water Resources, River Development and	
	Ganga Rejuvenation.	
	Board of Assessment:	
1.	Secretary, Ministry of Jal Shakti,	
	Department of Water Resources,	
_	River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;	
2.	Chairman, Central Ground Water Board,	
	Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,	
	River Development and Ganga Rejuvenation Member;	
3.	Three experts of the level of Scientist 'D' or above in the field	
٥.	of Development and Management of Ground Water Resources	
	from outside Central Ground Water Board. - Members.	
	Approving Authority:	
	Minister-in-charge, Ministry of Jal Shakti.	
	winnowi-in-charge, winnou y or far Shakti.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientist 'D'	As specified	General	Level 12 (Rs.	Selection	Not applicable
(a) Scientist 'D'	in rule 7 of	Central	78800) in the		
(Hydrology)	this	Service,	pay matrix.		
(b) Scientist 'D'	notification.	Group 'A',			
(Hydrogeology)		Gazetted,			
(c) Scientist 'D'		Non-			
(Geophysics)		Ministerial.			
(d) Scientist 'D'					
(Chemical)					
(e) Scientist 'D'					
(Hydrometeorology)					

(7)	(8)	
Not applicable	Not applicable	

(9)	(10)	(11)
Not	By in-situ promotion under	In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme.
applicable	Flexible Complementing	Scientist 'C' in concerned discipline in level-11 (Rs.67700/-) in the pay
	Scheme	matrix with four years regular service in the grade according to Flexible
		Complementing Scheme.

(12)	(13)
'Internal Screening Committee'	Consultation with Union Public
1. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti,	Service Commission not
Department of Water Resources,	necessary.
River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;	
2. Member, Central Ground Water Board,	
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,	
River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;	
3. Scientist E – From other relevant Government Institution; - Member;	

 A nominee of Department of Atomic Energy or Department of Space or Defense Research and Development Organisation of at least one level above. – Member.

Board of Assessment:

 Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,

River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;

Chairman, Central Ground Water Board,
 Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,
 River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;

 Three experts of the level of Scientist 'E' or above in the field of Development and Management of Ground Water Resources from outside Central Ground Water Board.
 Members.

Approving Authority:

Minister-in-charge, Ministry of Jal Shakti.

[F.No. A.31017/01/2017-GWE (Part-I)]

S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 36.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') वैज्ञानिक पद भर्ती नियम, 2013 को, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन केंद्रीय जल आयोग में अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी और ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') वैज्ञानिक पद भर्ती नियम**, 2020** है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना.** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता.— वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

	•
अन	सचा

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए जाने
			स्तर	अथवा	जाने वाले	वाले व्यक्तियों के लिए
				अचयन पद	व्यक्तियों के लिए	अपेक्षित शैक्षिक और
					आयु-सीमा	अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अनुसंधान	08* (2020)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
अधिकारी	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'क',	स्तर- 10			
	आधार पर	राजपत्रित,	(56,100-			
	परिवर्तन किया जा	अनुसचिवीय	177500 रुपए)			
	सकता है					

सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या
व्यक्तियों के लिए विहित आयु	हो	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत		वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
व्यक्तियों की दशा में लागू होगी		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
	के लिए दो वर्ष	

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नतिः

वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे सहायक अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे से जल गुणवत्ता प्रयोगशाला प्रवंधन, रिमोट सेंसिंग उपयोजन और जल गुणवत्ता जिसमें अवसाद विश्लेषण सम्मिलित है अनुवीक्षा में भू-वैज्ञानिक सूचना प्रणाली में 2 हफ्ते का स्तर-3 प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पणः जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियक्तिः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए है; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (53100- 167800 रुपए) या स्तर 8 (47600-151100 रुपए) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन शास्त्र में मास्टर्स डिग्री; और
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों से रसायन शास्त्र में अनुसंधान का 5 वर्ष का अनुभव।
- टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण-2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
	से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
निम्नलिखित होंगे:-	
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	
2. मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	
3. निदेशक (स्थापन) या उप सचिव (स्थापन), जल शक्ति मंत्रालय,	
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य,	
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	
निम्नलिखित होंगे।	
1. प्रधान इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष	
2. निदेशक (स्थापन) या उप सचिव (स्थापन), जल शक्ति मंत्रालय, जल	
संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य	
3. सचिव, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक	28*(2020)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
अनुसंधान	्र *कार्यभार के आधार	सेवा,समूह 'ख',	स्तर- 8			
अधिकारी	पर परिवर्तन किया	राजपत्रित.	(47600-			
	जा सकता है।	अनन् सचिवीय	151100 रुपए)			

(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

(11)

प्रोन्नतिः

वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रुपए) में के ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे से जल गुणवत्ता अनुवीक्षा और निर्धारण, नेशनल एक्रडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एवं केलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) प्रत्यायन प्रणाली और डेन्ट ऑन एट्रानिक एब्सारप्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आयन क्रोमेटोग्राफ, टोटल आरगेनिक केरन एनालाइजर और गैस क्रोनेटोग्राफ में दो हफ्ते का स्तर-।। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पणः जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तिः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या
- (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900 142400 रुपए) या समतुल्य पद में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में मास्टर्स डिग्री रखते हों; और
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों से रसायन शास्त्र में अनुसंधान का 3 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के	लिए) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
निम्नलिखित होंगे:-		
1. मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग	- अध्यक्ष	
2. निदेशक (स्थापन) या उप सचिव (स्थापन), जल संसाधन,		
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	- सदस्य	
3. सचिव, केंद्रीय जल आयोग	- सदस्य	
4. निदेशक, केंद्रीय जल आयोग	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ज्येष्ठ	70*(20 20)	साधारण	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	30 वर्ष से अनाधिक	किसी मान्यता
अनुसंधान	*कार्यभार के	केंद्रीय सेवा,	में स्तर- 7	होता	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर	प्राप्त
सहायक	आधार पर	समूह 'ख'	(44900-		जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के	विश्वविद्यालय
	परिवर्तन	अराजपत्रित,	142400		अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष	या संस्थान से
	किया जा	अननुसचिवीय	रुपए)		तक शिथिल की जा सकती है।)	रसायन शास्त्र में
	सकता है।				टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के	मास्टर्स डिग्री।
					लिए निर्णायक तारीख भारत में	
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के	
					लिए नियत की गई अंतिम तारीख	
					होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो	
					असम, मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल	
					प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	
					सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र,	
					हिमाचल प्रदेश के लाहोल औरे स्पीति	
					जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी	
					उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप	
					या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	
					विहित की गई है।)	
					टिप्पणः रोजगार कार्यालय के माध्यम	
					से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में	
					आयु सीमा अवधारित करने के लिए	
					निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से	
					_	
					नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(9)	(10)
दो वर्ष	सीधी भर्ती
	टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन
	छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक
	अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के
	निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा
	सकेंगी।
	(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद
	धारण कर रहा है।
	(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और
	अनुभव रखता हो।
	\ /

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय /पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से
	निम्नलिखित होंगे:-	परामर्श करना आवश्यक नहीं
	1. मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष	े है।
	2. निदेशक (स्थापन) या उप सचिव (स्थापन), जल शक्ति मंत्रालय,	
	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य	-
	3. सचिव, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	г
	4. निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	Ţ.

[फा.सं. ए-12018/16/2017-ई-।]

ए. के. दास, अवर सचिव

New Delhi, the 12th February, 2020

- G.S.R.36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water Commission (Group 'A' and Group 'B') Scientific Posts Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer, Assistant Research Officer and Senior Research Assistant in the Central Water Commission under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission (Group 'A' and Group 'B') Scientific Posts Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.—The number of the said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. **Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification of the post	Level in the Pay	Selection post or	Age-limit for direct	Educational and other qualifications
	Post	or the post	Matrix	Non-	recruits	required for direct
				Selection		recruits
				post		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Research	08* (2020)	General	Level-10	Selection	Not	Not applicable
Officer	*Subject to	Central	in the pay		applicable	
	variation	Service,	matrix			
	dependent on	Group 'A'	(Rs			
	work load	(Gazetted)	56,100-			
		Non-	177500)			
		Ministerial	·			

Whether age and	Period of	Method of	In case of recruitment by promotion or deputation/
educational	probation, if	recruitment: whether	absorption grades from which promotion or
qualifications	any	by direct recruitment	deputation/absorption to be made
prescribed for		or by promotion or by	
direct recruits will		deputation/ absorption	
apply in the case of		and percentage of the	
promotees		vacancies to be filled	
•		by various methods	
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for	Promotion failing	Promotion:
11	promotees	which by deputation	Assistant Research Officer in the level-8 (Rs 47,600-
		J	1,51,100/-) in the pay matrix with two years regular
			service in the grade and having successfully
			completed Level-III training of two weeks in Water
			Quality laboratory management, Applications of
			Remote Sensing and Geological Information System
			in monitoring water quality including analysis of
			sediment from National Water Academy, Pune.
			Note Where juniors who have completed their
			qualifying or eligibility service are being considered
			for promotion, their seniors shall also be considered
			provided they are not short of the requisite qualifying
			or eligibility service or two years, whichever is less
			and have successfully completed their probation
			period for promotion to the next higher grade along
			with their juniors who have already completed such
			qualifying or eligibility service.
			Deputation:
			Officers of the Central Government or State
			Governments or Union territories:
			(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or
			(ii) with two years service rendered after
			appointment to the post on a regular basis in the
			level-9 (Rs 53100-1,67,800/-) or level-8 (Rs 47600-
			1,51,100/-) in the pay matrix or equivalent in the
			parent cadre or Department; and
			(b) possessing the following educational
			qualification and experience:-
			(i) Master's degree in Chemistry from a recognised
			University or recognised institute; and
			(ii) Five years research experience in Chemistry
			from the Central Government or the State
			Government or Union territories or Universities or
			recognised Institutions.
			Note 1 The Period of deputation including period

	of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2 The official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which the Union
	Public Service Commission is to be
	consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Department Promotion Committee (for considering promotion)	Consultation with Union Public Service
consisting of:	Commission is necessary.
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman;	
2. Chief Engineer, Central Water Commission – Member;	
3. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Ministry	
of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and	
Ganga Rejuvenation – Member.	
Departmental confirmation committee (for considering confirmation)	
consisting of:	
1. Chief Engineer, Central Water Commission — Chairman;	
2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Ministry	
of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and	
Ganga Rejuvenation – Member;	
3. Secretary, Central Water Commission - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2. Assistant	28*(2020)	General Central	Level- 8 in	Selection	Not	Not applicable	
Research	* Subject to	Service, Group	the pay		applicable		
Officer	variation	'B', (Gazetted)	matrix				
	dependent on	Non-Ministerial	(Rs 47600-				
	work load		1,51,100)				

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not	By	Promotion:
	applicable	promotion failing which by deputation.	Senior Research Assistant in the level-7 (Rs. 44,900- 1,42,400) in the pay matrix with two years regular service in the grade and having successfully completed Level-II training of two weeks in Water Quality monitoring and assessment, National Accreditation Board for testing and calibration Laboratories (NABL) Accreditation process and Hands on Atomic absorption spectrophotometer, Ion Chromatograph, Total Organic Caron Analyzer and Gas Chromatograph from National Water Academy, Pune. Note Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:
Officers under the Central Government or the State Governments or
Union territories:
(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre
or department; or
(ii) with two years regular service in posts in level-7 (Rs44,900-
1,42,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or
department, and
(b)(i) possessing Masters degree in Chemistry from a recognised
University; and
(ii) three years research experience in Chemistry from the Central
Government or State Government or Union territories or Universities
or recognised Institutions.
Note 1 The Period of deputation including the period of deputation
in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment
in the same or some other Organisation or Department of the Central
Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum
age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty
six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 2 The Departmental officers in the feeder category who are in
the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for
appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be
eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)		
Department promotion committee (for considering promotion	Consultation with Union		
1. Chief Engineer, Central Water Commission	– Chairman;	Public Service Commission is	
2. Director (Establishment) or Deputy Secretary(Establishment),		necessary while appointing an	
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,		officer on deputation.	
River Development and Ganga Rejuvenation	- Member;		
3. Secretary, Central Water Commission	– Member;		
4. Director Central Water Commission	- Member.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Senior	70*	General	Level – 7	Not	Not exceeding 30 years.	Masters degree in
Research	(2020)	Central	in the pay	applicable	(Relaxable for Government	Chemistry from a
Assistant	*Subject	Service,	matrix		servants upto five years in	recognised
	to	Group 'B'	(Rs.44,900-		accordance with instructions or	University or
	variation	(Non-	1,42,400)		orders issue by Central	Institution.
	dependent	gazetted)			Government).	
	on work	Non-			Note The crucial date for	
	load	Ministerial			determining the age-limit shall	
					be the closing date for receipt of	
					applications from candidates	
					and not the closing date	
					prescribed for those in Assam,	
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,	
					Mizoram, Manipur, Nagaland,	
					Tripura, Sikkim, Union	
					Territory of Ladakh, Lahaul and	
					Spiti district and Pangi Sub-	
					division of Chamba district of	
					Himachal Pradesh, Andaman	
					and Nicobar Islands and	
					Lakshadweep.	
					Relaxable for Government	
					servants upto five years in	
					accordance with the instructions	
					or orders issued by the Central	
					Government.	

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	Direct recruitment.	Not applicable
		Note Vacancies caused by the incumbent	
		being away on deputation or long illness or	
		study leave or under other circumstances for a	
		duration of one year or more may be filled on	
		deputation basis from officers of Central	
		Government:	
		(a)(i) holding analogous posts on regular	
		basis in the parent cadre or Department; and	
		(b) possessing the qualifications and	
		experience prescribed for direct recruits under	
		column (7).	

(12)			(13)		
Departmental confirmation committee (for considering con	firmation)	Consultation	with	Union	Public
consisting of:		Service Comn	nission	is not nec	essary.
1. Chief Engineer, Central Water Commission	 Chairman; 				
2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment	t),				
Department of Water Resources, River Development and					
Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti	– Member;				
3. Secretary, Central Water Commission	– Member;				
4. Director, Central Water Commission	- Member.				

[F. No. A-12018/16/2017-E-I] A.K. DAS, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

सा.का.नि.37.— राष्ट्रपित, अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग में रेलवे निरीक्षणालय सेवा में विरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे निरीक्षणालय सेवा [वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी)] भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उन वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं इत्यादि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

		अन्	सूची			
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन अथवा	सीधे भर्ती	सीधे भर्ती के
			में लेवल	अचयन पद	के लिए	लिए अपेक्षित
					आयु सीमा	शैक्षिक और
						अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ निरीक्षक	25 (2020)	साधारण केन्द्रीय	लेवल-7	लागू नहीं होता	लागू नहीं	अनिवार्य
(तकनीकी)	*(कार्यभार के आधार	सेवा, समूह 'ख'	(₹.44900-			लागू नहीं
	पर परिवर्तन किया जा	अराजपत्रित	142400)			
	सकता है)	अननुसचिवीय	, ,			

सीधी भर्ती के लिए प्रमोटी के आवेदन देने के मामले में निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हता	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या विश्व विद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के तहत अधिकारी:

- (क) (1) पैतृक संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना: या
 - (2) ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा के साथ नियुक्ति के बाद लेवल 6 (रू 35400-112400) वेतन मैट्रिक्स के पदों में नियमित आधार पर या पैतृक संवर्ग या विभाग में समकक्ष : तथा
- (ख) अनुभव और शैक्षिक योग्यता रखने:
 - (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या विदयुत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
 - (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और सम्बन्धित विषय में सरकारी संगठन में दो साल का अनुभव I

- नोट (1): प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाहय कॉडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित (अल्पकालिक अनुबंध सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- नोट (2): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं l	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
	आवश्यक नहीं है l

[फा. सं. ए-11013/30/2015-आर.एस.] संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th February, 2020

- G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Inspector (Technical) in the Railway Inspectorate Service in the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely:
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Railway Inspectorate Service [Senior Inspector(Technical)] Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, Classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
- **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number of	Classification	Level in	Whether selection	Age-limits	Educational
Post	Posts		the pay	post or non selection	for direct	and other
			matrix	post	recruits	qualifications
						required for
						direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior	25(2020)	General	Level-7	Not	3.7	Essential
Inspector	*	Central	(Rs. 44900	applicable	Not	Not
(Technical)	(Subject	Service,	-142400)		applicable	applicable
	to	Group "B",				
	variation	Non-				
	dependent	Gazetted,				
	on	Non				
	workload)	Ministerial				

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Deputation including short -term contract

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations,-

- a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience:-
- (i) Bachelors Degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electronics and Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution;

Or

- (ii) Diploma in Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electronics and Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution and having two years' experience of duty in a Government Organisation in the related subject.
 - **Note1:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
 - **Note 2:** The Maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	
(12)	
Not applicable	

Ī	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
	(13)
ĺ	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post.

[F.No. A-11013/30/2015-RS] S. K. SINGH, Under Secy.